राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
और
अंकेक्षित वित्तीय विवरण
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

वित्तीय वर्ष 2023-24

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.फ़.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी		
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	ट्रस्ट		
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2012		
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)		
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	न्यास विलेख तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017		
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न है)		
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर		
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक		
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ		
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	**वित्तीय वर्ष**	**लोकसभा**	**राज्यसभा**
		2020-21	09.02.2022	11.02.2022
		2021-22	21.12.2022	23.12.2022
		2022-23	20.12.2023	07.02.2024
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लागू नहीं		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट	1 - 24
2	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	25 - 28
3	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमाणित वार्षिक खाते	29 - 41

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	**परिचय**	3
	1.1 पृष्ठभूमि	3
	1.2 संस्थानिक ढांचा	4
	1.3 शक्तियों का प्रत्यायोजन	6
	1.4 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का नियोजन और उनकी संधारणीयता विशेषताएं	6
	1.5 व्यवसाय और संचालन की समग्र स्थिति	7
2.	**परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति**	10
	2.1 एनआईसीडीआईटी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं	10
	2.2 एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार द्वारा विचाराधीन परियोजनाएं	14
	2.3 परियोजनाएं जो एनआईसीडीआईटी द्वारा विचारार्थ एवं मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की जा रही है	16
3.	**अन्य स्टैंडअलोन परियोजनाएं**	18
	3.1 मोडल सौर परियोजना, नीमराणा, राजस्थान	18
	3.2 लॉजिस्टिक डेटा बैंक परियोजना	20
	3.3 एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी)	21
4.	**औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) से नीति आधारित ऋण (पीबीएल)**	21
5.	**वित्तीय परिणामों का सारांश**	23
	आभार	24

1. **परिचय**

1.1 पृष्ठभूमि

15 सितम्बर, 2011 को भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, न्यास विलेख के निष्पादन के माध्यम से 27 सितम्बर, 2012 को डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) को निगमित किया गया।

भारत सरकार ने 22 दिसंबर, 2016 के आदेश के तहत दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के अधिदेश और दायरे को विस्तारित करने की मंजूरी दी और देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया। एनआईसीडीआईटी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। सरकार ने एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है, जिसकी संरचना इस प्रकार है:

i. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष;
ii. सचिव, व्यय विभाग, सदस्य;
iii. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य;
iv. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सदस्य;
v. सचिव, पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग, सदस्य;
vi. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य;
vii. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य; और
viii. सीईओ, एनआईसीडीआईटी, सदस्य-सचिव

न्यास विलेख के खंड 8.5 के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और एनआईसीडीसी लिमिटेड के सीईओ एवं एमडी एनआईसीडीआईटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करेंगे।

एनआईसीडीआईटी की भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्य इस प्रकार हैं:

क. औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए सक्षमकारी संस्थागत, वित्त पोषण और संचालन ढांचा स्थापित करना;

ख. नए औद्योगिक गलियारे, नोड्स, अर्ली बर्ड परियोजनाएं और स्टैंडअलोन परियोजनाएं स्थापित

करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

ग. सभी परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा वित्तीय अधिकारों के अनुमोदित प्रत्यायोजन के अनुसार एसपीवी को इक्विटी या ऋण या दोनों की मंजूरी देना तथा परियोजना विकास के लिए अनुदान देना;

घ. ज्ञान साझेदारों, विशेष प्रयोजन योजनओं (एसपीवी) और राज्य सरकारों के माध्यम से औद्योगिक गलियारों में परियोजना विकास की गतिविधियों का समर्थन करना और उद्योगों के लिए निवेशकों की पहचान करने में राज्यों की सहायता करना;

ङ. आवश्यकता के अनुसार ऋण/इक्विटी के रूप में धन जुटाना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का लाभ उठाना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त उद्यम में गठित एसपीवी को इक्विटी/ऋण प्रदान करना;

च. पिछले अनुच्छेदों में उल्लिखित तौर-तरीकों को प्रभावी करने के लिए, समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों/परियोजना विशिष्ट एसपीवी/सार्वजनिक या निजी संगठनों के साथ अनुबंध करना;

छ. विशेष रूप से चिन्हित रणनीतिक अर्ली बर्ड परियोजनाओं के लिए राज्यों के मौजूदा तंत्रों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण हेतु धन उपलब्ध कराना, जिन्हें पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा सकता है। हालाँकि, शहर/नोड विकास के लिए भूमि अनिवार्य रूप से राज्य की इक्विटी होगी और इसका अधिग्रहण एवं पूर्ण भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा;

ज. एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में खातों का रखरखाव करेगा तथा ये खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

1.2 <u>संस्थानिक ढाचा</u>

क. एनआईसीडीआईटी का बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक औद्योगिक शहर में भूमि अधिग्रहण की प्रगति और कार्यों के वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, एसपीवी को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से ऋण और इक्विटी के इष्टतम मिश्रण, वित्तीय साधनों के चयन, धन की मात्रा, नियम और शर्तों एवं संवितरण अनुसूची को अनुमोदित और स्वीकृत करेगा। इसी प्रकार, परियोजना विकास के लिए ज्ञान साझेदार (साझेदारों) को अनुदान, कार्य की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।

ख. एनआईसीडीआईटी वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक वित्त पोषण जुटाने के लिए भारत सरकार

द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का लाभ उठाएगा तथा उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद औद्योगिक गलियारों के विकास का समर्थन करने के लिए कर मुक्त बांड, पूंजीगत लाभ बांड, ऋण संवर्धन आदि भी जुटाएगा।

ग. एनआईसीडीआईटी में भारत सरकार के योगदान का उपयोग परिक्रामी कोष के रूप में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एसपीवी में निवेश एनआईसीडीआईटी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि एसपीवी द्वारा सभी ऋण शोधन भुगतान और भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का उपयोग करके एनआईसीडीसी द्वारा अब तक विकसित एसपीवी सहित एसपीवी से इक्विटी विनिवेश से प्राप्त आय को कॉर्पस में पुनः लगाया जा सके जो एनआईसीडीआईटी को भविष्य में ऐसे और अधिक औद्योगिक शहरों के विकास का कार्य करने में सक्षम बनाएगा। नोडल/शहर स्तरीय एसपीवी भारत सरकार/राज्य सरकार से उपयुक्त गारंटी द्वारा ऋण संवर्धन के माध्यम से और दीर्घकालिक ऋण जुटा सकते हैं, ताकि यह बीमा और पेंशन निधि द्वारा निवेश के लिए व्यवहार्य हो सके। नोडल/शहर स्तरीय एसपीवी अवसंरचना वित्त पोषण और वितरण के नवाचारी उपकरणों जैसे कि उपयोगकर्ता शुल्क वित्त पोषण, मूल्य निर्धारण नवाचार और विभिन्न पीपीपी व्यवस्था के माध्यम से वितरण का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार/एसपीवी द्वारा ऋण के रूप में या अन्यथा जुटाई गई धनराशि भी राज्य की ओर से अंशदान माना जाएगा।

घ. पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की तरह उनके निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं प्रचलित नीति के अनुसार वॉयाबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की पात्र होंगी। डीपीआईआईटी के सचिव और एनआईसीडीआईटी के सदस्य-सचिव औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) के सदस्य होंगे। मास्टर प्लान/विकास योजनाओं के अनुरूप समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए, एनआईसीडीआईटी द्वारा औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं में वीजीएफ के सभी प्रस्तावों को जांचा और अनुशंसित किया जाएगा ।

ङ. प्रत्येक औद्योगिक शहर/नोड को भारत सरकार द्वारा अधिकतम 3,000 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन औसतन 2,500 करोड़ रुपये का समर्थन दिया जाएगा, जो भौगोलिक स्थिति, आकार, राज्य के योगदान और विकास संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। प्रत्येक शहर/नोड के लिए वास्तविक आवश्यकता अलग-अलग हो सकती है, जो भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास की लागत और भूमि खरीदने/भूमि संग्रहीकरण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की संबंधित राज्य सरकारों की क्षमता पर निर्भर करेगी। राज्य सरकार का योगदान भूमि या द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्त पोषण सहित किसी भी स्रोत से उसके द्वारा जुटाई गई किसी अन्य धनराशि के माध्यम से होगा। यद्यपि गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रति शहर कुल आवश्यकता बहुत बड़ी हो सकती है तथा यह शहर-दर-शहर अलग-अलग होगी, फिर भी भारत सरकार का योगदान इन औद्योगिक शहरों/नोड्स के

विकास के प्रथम चरण को शुरू करने के लिए है। इसके बाद, आंतरिक मुद्रीकरण आदि के माध्यम से धन जुटाया जाएगा।

1.3 शक्तियों का प्रत्यायोजन

एनआईसीडीआईटी गैर-पीपीपी परियोजनाओं के ऐसे सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा, जो उसके समक्ष रखे जाएंगे। एनआईसीडीआईटी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, यह 300 करोड़ रुपये तक के मूल्य वाली परियोजनाओं को अनुमोदन देगा। 300 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 500 करोड़ रुपये तक के मूल्य वाली परियोजनाओं के मामले में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 500 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 1,000 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले सभी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

इसके अलावा, 30 दिसंबर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में सीसीईए ने एनआईसीडीआईटी को परियोजनाओं की प्रगति, भूमि की उपलब्धता और भौतिक तैयारियों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं की चरणबद्धता में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, न्यासी बोर्ड ने 15 मई, 2023 और 08 जनवरी, 2024 को बैठक आयोजित की।

1.4 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का नियोजन और उनकी संधारणीयता विशेषताएं:

विकसित की जा रहीं औद्योगिक गलियारा परियोजनाएं स्थायी दृष्टिकोण को अपनाती हैं जो लो कार्बन सिटी (एलसीसी) के विकास में सहायता के लिए आधारभूत कार्य का रूप लेता है, जिसमें हरियाली वाले खुले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन और परिवहन उन्मुख विकास (टीओडी) की योजना बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को न्यूनतम करना, जल संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ाना तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण शामिल है। ट्रंक अवसंरचना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिन्हें सभी परियोजनाओं में अपनाया गया है:

क. सभी यूटिलिटीज को भूमिगत करने की योजना बनाई गई है जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वे परिवहन क्षेत्र से भी बाहर है ताकि रखरखाव और अन्य कार्यों के दौरान मुख्य वाहन मार्ग प्रभावित न हो।

ख. बस स्टेशनों की योजना 400 मीटर की पैदल दूरी के भीतर बनाई गई है। पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर अंतिम मील कनेक्टिविटी के विकल्प दिए गए हैं। यातायात पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए बस बे/बस स्टॉप का प्रावधान है।

ग. एसटीपी और सीईटीपी से अपशिष्ट जल को एकत्रित कर पुनर्चक्रित किया जाता है तथा पेयजल से भिन्न प्रयोजन के लिए उसे शहर में पुन: वितरित किया जाता है। किसी भी जल-प्लावन को रोकने और दक्षता बनाए रखने के लिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। टिकाऊ समाधान के लिए शून्य तरल बहाव (जेडएलडी) को अपनाया गया है। औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग सीवर लाइनें है।

घ. शहरी स्तर पर वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण को अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, धोलेरा में 2500 मिलियन लीटर से अधिक क्षमता वाली 100 मीटर चौड़ी खुली नहर का उपयोग जल संचयन, पार्कों और उद्यानों की सिंचाई के साथ-साथ पेयजल से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

ङ. ग्रीन फील्ड सिटी के लिए संपूर्ण बुनियादी ढांचे की योजना स्काडा, सेंसर और स्वचालन के साथ बनाई जाती है ताकि वास्तविक समय की सूचना उत्पन्न की जा सके और उसका कुशल तरीके से संचालन और प्रबंधन किया जा सके। यह कुशल परिवहन प्रबंधन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल स्वास्थ्य एवं शिक्षा, आपातकाल और शहरी संचालन को सुगम बनाएगा।

च. हरियाली वाले खुले स्थानों के लिए पदानुक्रम के वर्गीकरण द्वारा हरित स्थानों की योजना निम्नानुसार है:

i. पांच मिनट की पैदल दूरी पर नजदीकी पार्क;

ii. दस मिनट की पैदल दूरी पर सामुदायिक पार्क;

iii. शहर के भीतर स्टॉर्म वाटर केनाल के किनारे लाइनर पार्क।

छ. सार्वजनिक परिवहन के साधनों और मोटर से न चलने वाले साधनों के साथ एकीकृत सुरक्षित और टिकाऊ मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली की योजना बनाई गई है।

ज. सामाजिक अवसंरचना वाले क्लस्टरों में पार्किंग की सुविधाओं के साथ परिवहन के प्रमुख इंटरचेंजों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की योजना बनाई गई है।

झ. सभी झीलों में सुधार किया जा रहा है तथा जल अवरोधन क्षमता बढ़ाने तथा निवासियों को मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त नहरों की योजना बनाई गई है।

ञ. निवासियों के लिए पैदल चलने और प्रदुषण कम करने हेतु चौड़े फुटपाथ और साइकिल ट्रैक ।

ट. सभी भूखंडों और परिसंपत्तियों को दृष्टिगत करने के लिए एक व्यापक वेब आधारित जीआईएस एप्लीकेशन। निवेशकों के लिए जानकारी प्राप्त करने, भूमि के लिए आवेदन करने तथा आवंटन तक अपने आवेदन का अनुसरण करने हेतु एक व्यापक ऑनलाइन भूमि प्रबंधन प्रणाली।

1.5 व्यवसाय और संचालन की समग्र स्थिति

क. वर्तमान में, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंग के रूप में, निम्नलिखित 11 औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है:

i. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी);

ii. चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी);
iii. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी);
iv. पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा (ईसीआईसी) के चरण 1 के रूप में विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) ;
v. बंगलुरू मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी);
vi. कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार;
vii. हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा (एचएनआईसी);
viii. हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा (एचडब्ल्यूआईसी);
ix. हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (एचबीआईसी);
x. ओडिशा आर्थिक गलियारा (ओईसी); और
xi. दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा (डीएनआईसी)।

ख. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के अंतर्गत, 04 ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरों में ट्रंक अवसंरचना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है: शेन्द्रा बिडकिन (महाराष्ट्र), धोलेरा (गुजरात), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) और विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश)। सितंबर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। विक्रम उद्योगपुरी और ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः अक्टूबर, 2023 और जनवरी, 2024 में राष्ट्र को समर्पित किए गए। नांगल चौधरी में एकीकृत मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब में बाहरी ट्रंक अवसंरचना के विकास का कार्य चल रहा है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

ग. उपर्युक्त 04 शहरों में लगभग 1,16,010 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता वाली कंपनियों को लगभग 1,890 एकड़ क्षेत्रफल वाले कुल 309 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें ह्योसंग (दक्षिण कोरिया), एनएलएमके (रूस), टाटा केमिकल्स, रिन्यू पावर, कोटाल फिल्म्स (अमेरिकी सहयोग), फूजी सिल्वरटेक (जापानी), जे-वर्ल्ड (दक्षिण कोरिया) और अमूल जैसे निवेशक शामिल हैं। इन 04 शहरों में 80 इकाइयों ने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है और 83 कंपनियां निर्माणाधीन हैं। आवंटित भूमि, सुरक्षित निवेश और अनुमानित रोजगार सृजन की नोड-वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**परियोजना**	**आवंटित भूखंड (संख्या)**	**क्षेत्रफल (एकड़ में)**	**निवेश (करोड़ रुपये में)**	**रोजगार सृजन (संख्या)**
i.	धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, गुजरात	8	450	96800	5800

क्र. सं.	परियोजना	आवंटित भूखंड (संख्या)	क्षेत्रफल (एकड़ में)	निवेश (करोड़ रुपये में)	रोजगार सृजन (संख्या)
ii.	शेन्द्रा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र	237	827	8358	11380
iii.	एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	18	210	6006	18438
iv.	# एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, विक्रम उद्योगपुरी, मध्य प्रदेश	46	403	4846	12867
कुल		**309**	**1890**	**1,16,010**	**48485**

आईआईटीवीयूएल में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए मध्य प्रदेश सरकार को हस्तांतरित 360 एकड़ सकल भूमि को छोड़कर।

उपर्युक्त 4 एसपीवी के पास औद्योगिक उपयोग के लिए ~ 2,004 एकड़ और मिश्रित उपयोग के लिए ~ 2,250 एकड़ विकसित भूमि उपलब्ध है।

घ. इसके बाद, भारत सरकार ने दिसंबर, 2020 में 03 और परियोजनाएं, कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश), तुमकुरु (कर्नाटक) और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एमएमएलएच और एमएमटीएच को भी मंजूरी दी।

ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न घटकों के निर्माण हेतु तुमकुरु और कृष्णापट्टनम दोनों नोड के लिए ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति की गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी, 2023 में तुमकुरु परियोजना की आधारशिला रखी।

ङ. इसके अतिरिक्त, एनआईसीडीआईटी द्वारा निम्नलिखित 05 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है:

i. खुरपिया फार्म, उत्तराखंड (1,002 एकड़)
ii. राजपुरा-पटियाला, पंजाब (1,099 एकड़)

iii. दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र (6,056 एकड़)
iv. पलक्काड नोड, केरल (1,710 एकड़)
v. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिसे अब मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर कहा जाता है (1,578 एकड़)

उपरोक्त 05 परियोजनाओं में से क्रम संख्या (i) से (iv) तक की परियोजनाएं भारत सरकार (सीसीईए) के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई हैं।

क्रम संख्या (v) वाली परियोजना को एनआईसीडीआईटी द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है तथा माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

च. इसके अलावा, सात (7) और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 में कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है और परियोजनाओं को एनआईसीडीआईटी द्वारा विचार और मूल्यांकन के लिए रखा जा रहा है:

i. आईएमसी आगरा, उत्तर प्रदेश (1,058 एकड़)
ii. आईएमसी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (351 एकड़)
iii. आईएमसी गया, बिहार (1,670 एकड़)
iv. आईएमसी हिसार, हरियाणा (1,605 एकड़)
v. कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश (2,595 एकड़)
vi. ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश (2,621 एकड़)
vii. जहीराबाद, तेलंगाना (3,245 एकड़)

विभिन्न गलियारों के अंतर्गत चल रही सभी परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी अगले खंड में दी गई है।

2. परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

2.1 एनआईसीडीआईटी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं

क. धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर), गुजरात, डीएमआईसी

- डीएसआईआर की योजना लगभग 920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाई गई है और चरण-I के लिए 22.5 वर्ग किलोमीटर का सक्रियण क्षेत्र चुना गया है, जिसमें ट्रंक अवसंरचना का कार्य पूरा होने वाला है;

- भारत सरकार ने अवसंरचना के विभिन्न घटकों के लिए 2,784.83 करोड़ रुपये के निविदा पैकेजों को मंजूरी दी है, जिन्हें सक्रियण क्षेत्र के लिए पांच पैकेजों में विभाजित किया गया है;
- राज्य सरकार ने डीआईसीडीएल (एसपीवी) को 48.31 वर्ग किलोमीटर भूमि हस्तांतरित की है और 2784.83 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी जारी की गई है;
- 450 एकड़ क्षेत्रफल वाले 8 प्लॉट आवंटित किए गए हैं जिसमे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा केमिकल्स एंकर निवेशक के रूप में शामिल है;
- हाल ही में, धोलेरा में सेमीकंडक्टर वेफर फैब इकाई स्थापित करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को लगभग 164 एकड़ भूमि का 1 (एक) भूखंड आवंटित किया गया है;
- ~ 1,100 एकड़ की औद्योगिक भूमि तुरंत आवंटन के लिए उपलब्ध है;
- 1000 मेगावाट के सौर पार्क के विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में से 300 मेगावाट टाटा सोलर पावर लिमिटेड को आवंटित किया गया है;
- एनएचएआई द्वारा अहमदाबाद से धोलेरा तक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भीमनाथ धोलेरा रेल लिंक की बाह्य संपर्क परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

ख. <u>शेन्द्रा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए), महाराष्ट्र, डीएमआईसी</u>

- एसबीआईए का भाग-1, 40.2 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 8.39 वर्ग किलोमीटर तथा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 28.8 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र हस्तांतरित किया है। एनआईसीडीआईटी द्वारा क्रमशः 602.80 करोड़ रुपये और 2,397.20 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी भी जारी की गई है;
- शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रमुख ट्रंक अवसंरचना पैकेज पूरे कर लिए गए हैं;
- माननीय प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर, 2019 को इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया;
- शेन्द्रा में लगभग 492 एकड़ क्षेत्रफल वाले 216 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से एक भूखंड (100 एकड़) एंकर निवेशक के रूप में ह्योसुंग को आवंटित किया गया है।
- बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने 6,414.21 करोड़ रुपये के अवसंरचना पैकेज को मंजूरी दी है, जिसे तीन चरणों में विकसित किया जाएगा तथा चरण-ए की लागत 2,427.02 करोड़ रुपये होगी। सेक्टर ए (10.32 वर्ग किमी) के लिए प्रमुख ट्रंक अवसंरचना के कार्य पूरे हो गए हैं;
- बिडकिन में 335 एकड़ क्षेत्रफल वाले 21 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 138 एकड़ भूमि पिरामल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई है;
- एसबीआईए में 682 एकड़ की औद्योगिक भूमि तुरंत आवंटन के लिए उपलब्ध है;

ग. <u>ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना, उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी</u>

- एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है और 617.20 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- भारत सरकार ने अवसंरचना के विभिन्न घटकों के लिए 1,097.5 करोड़ रुपये के निविदा पैकेजों को मंजूरी दी है। ट्रंक अवसंरचना के प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं;
- 210 एकड़ क्षेत्रफल वाले 18 प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिनमें हायर (122 एकड़) एंकर निवेशक है;
- 122 एकड़ की औद्योगिक भूमि तुरंत आवंटन के लिए उपलब्ध है।

घ. <u>एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' परियोजना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, डीएमआईसी</u>

- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1,026 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है और 260.54 करोड़ रुपये के ऋण के साथ 55.93 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी भी जारी कर दी गई है (जिसमें से 106.30 करोड़ रुपये का ऋण एसपीवी द्वारा दिसंबर, 2023 में चुकाया जा चुका है);
- भारत सरकार ने अवसंरचना के विभिन्न घटकों के लिए 749.1 करोड़ रुपये के निविदा पैकेजों को मंजूरी दी है। ट्रंक अवसंरचना के प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं;
- 403 एकड़ क्षेत्रफल वाले 46 प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिनमें अमूल एंकर निवेशक है;
- इसके अलावा, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 360 एकड़ का सकल क्षेत्रफल भी आवंटित कर दिया गया है।
- 100 एकड़ की औद्योगिक भूमि तुरंत आवंटन के लिए उपलब्ध है।

ङ. <u>नांगल चौधरी, हरियाणा में एकीकृत मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच)</u>

- भारत सरकार द्वारा मई, 2018 में परियोजना को अनुमोदित किया गया;
- इस परियोजना के लिए महेंद्रगढ़ जिले में लगभग 886 एकड़ भूमि की पहचान की गई है;
- परियोजना एसपीवी को 689 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 130 करोड़ रुपये के ऋण के साथ 211.63 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी जारी कर दी गई है;
- लगभग 158 एकड़ भूमि पर मुकदमा चल रहा है और मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है;
- चरण-1ए के रूप में 390 एकड़ की मुकदमेबाजी से मुक्त भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है;

- राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा जमा राशि के आधार पर पानी, बिजली और सड़क जैसी बाहरी कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। परियोजना स्थल तक जलापूर्ति का कार्य पूरा हो गया है;
- डीएफसीसीआईएल द्वारा जमा राशि के आधार पर परियोजना स्थल तक बाहरी रेल संपर्क का कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य प्रगति पर है;
- आंतरिक ट्रंक अवसंरचना विकास और लॉजिस्टिक्स हब की सुविधाओं को पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा;
- एसपीवी द्वारा 390 एकड़ (चरण-1ए) के लिए पीपीपी मोड पर कार्यों की बोली लगाने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर (टीए) नियुक्त किया गया है।

च. <u>कृष्णापट्टनम नोड, आंध्र प्रदेश, सीबीआईसी</u>

- कुल 11,095 एकड़ के परियोजना क्षेत्र की विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं;
- 2,500 एकड़ के चरण 1 के लिए दिसंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 2,139.15 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 533.86 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी जारी की गई है;
- ट्रंक अवसंरचना हेतु 2,006 एकड़ के सक्रियण क्षेत्र के लिए ईपीसी ठेकेदार नियुक्त किया गया है;
- डिजाइन और ड्राइंग को अंतिम रूप देने के लिए साइट की स्थापना और सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

छ. <u>तुमकुरु नोड, कर्नाटक, सीबीआईसी</u>

- कुल 8,483 एकड़ के परियोजना क्षेत्र की विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं;
- भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को दिसंबर, 2020 में चरण 1 के 1736 एकड़ के सक्रियण क्षेत्र के लिए मंजूरी दी गई;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1668.30 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 586.74 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी जारी की गई है;
- ट्रंक अवसंरचना के लिए ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति की गई है और ट्रंक अवसंरचना के लिए मिट्टी की खुदाई का काम प्रगति पर है;
- 06 फरवरी, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई।

ज. <u>दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और ग्रेटर नोएडा के बोराकी में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच), उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी</u>

- दिसंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित की गई;
- एमएमएलएच और एमएमटीएच परियोजनाएं क्रमशः 825 एकड़ और 358 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित हैं;
- एमएमएलएच के लिए 798 एकड़ (~ 97%) और एमएमटीएच के लिए 319 एकड़ (~ 89%) भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है;
- परियोजना एसपीवी को 562 एकड़ (457 एकड़ - एमएमएलएच और 105 एकड़ - एमएमटीएच) भूमि हस्तांतरित कर दी गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 853 करोड़ रुपये की मैचिंग इक्विटी जारी की गई है;
- एमएमएलएच साइट के लिए बाहरी और आंतरिक रेल संपर्क के निर्माण कार्य के लिए डीएफसीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा रहा है;
- परियोजना सीमा के भीतर बुनियादी ढांचे के घटकों का विकास पीपीपी मोड पर किया जाएगा;
- एमएमएलएच के लिए, राज्य द्वारा डीपीआर और बोली दस्तावेजों को अनुमोदित कर दिया गया है और ट्रांजेक्शन एडवाइजर द्वारा बाजार की जानकारी जुटाने का काम शुरू किया गया है;
- एमएमटीएच परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जनरल कंसलटेंट (जीसी) नियुक्त किया गया हैं, सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है एवं साइट मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.2 एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार द्वारा विचाराधीन परियोजनाएं

क. <u>दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र (डीपीआईए), महाराष्ट्र, डीएमआईसी</u>

- राज्य सरकार ने एनआईसीडीआईटी ढांचे के तहत डीपीआईए के विकास के लिए 6,056 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पुष्टि की है;
- नियुक्त सलाहकारों द्वारा विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के कार्य पूरे कर लिए गए हैं;
- इस परियोजना को राज्य में मौजूदा एसपीवी - महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (एमआईटीएल), पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (एआईटीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है;
- 14 दिसंबर, 2022 को एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है;
- सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ख. <u>खुरपिया फार्म, उत्तराखंड, एकेआईसी</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1,002 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं;
- 8 जून, 2022 को एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है;
- एसएसए और एसएचए को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है और परियोजना एसपीवी का भी निगमन हो चुका है;
- सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग. <u>राजपुरा-पटियाला, पंजाब, एकेआईसी</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1,099 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं;
- 8 जून, 2022 को एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है;
- एसएसए और एसएचए को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है और परियोजना एसपीवी का भी निगमन हो चुका है;
- सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

घ. <u>पलक्काड नोड, केरल, सीबीआईसी एक्सटेंशन</u>

- राज्य सरकार द्वारा 1,710.37 एकड़ भूमि की पहचान की गई है;
- एसएचए/एसएसए को क्रियान्वित किया गया है और पलक्काड में आईएमसी के विकास के लिए परियोजना एसपीवी को निगमित किया गया है;
- विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग का कार्य पूरा हो चुका है;
- 14 दिसंबर, 2022 को एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है;
- सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है;

ङ. <u>मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर (एमआईसी), राजस्थान, डीएमआईसी</u>

- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना का संशोधित क्षेत्रफल 8,121 एकड़ है जिसे 03 चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है;
- 1,578 एकड़ के क्षेत्रफल वाले चरण-ए को विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं;

- जेपीएमआईए के लिए राजस्थान सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच एसएचए/एसएसए निष्पादित किया गया है। 15 मार्च, 2022 को एसपीवी को भी निगमित कर लिया गया है;
- एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को चरण-ए के लिए परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है;
- माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.3 परियोजनाएँ जो एनआईसीडीआईटी द्वारा विचारार्थ और मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं

क. <u>आईएमसी आगरा, उत्तर प्रदेश, एकेआईसी</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1,058 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है;
- राज्य द्वारा एसएचए और एसएसए के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है;
- मास्टर प्लान को अधिसूचित करने का काम चल रहा है;
- नवंबर, 2023 में पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। टीटीजेड मंजूरी प्रक्रियाधीन है;
- पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 21 जून, 2024 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की है;
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ख. <u>आईएमसी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, एकेआईसी</u>

- राज्य सरकार ने एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकास के लिए मौजूदा स्थल से सटे 231 एकड़ की अतिरिक्त भूमि सहित परियोजना के लिए 351 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पुष्टि की है;
- नियुक्त सलाहकार द्वारा विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है;
- राज्य द्वारा एसएचए और एसएसए के मसौदे को अनुमोदित कर दिया गया है;
- दिसंबर, 2016 में सरस्वती हाई टेक सिटी के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई है। 231 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के लिए, पर्यावरण मंजूरी में संशोधन किया जाना है।
- पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 21 जून, 2024 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की है;
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग. <u>आईएमसी, गया, बिहार, एकेआईसी</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1,670 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पुष्टि की है;
- नियुक्त सलाहकारों ने विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया है;
- राज्य द्वारा एसएचए और एसएसए के मसौदे को अनुमोदित कर दिया गया है;
- ईसी सलाहकार की नियुक्ति की गई है। टीओआर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 21 जून, 2024 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की है;
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

घ. <u>आईएमसी हिसार, हरियाणा, एकेआईसी</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 2,988 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से चरण 1 के लिए 1,605 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पुष्टि की है;
- नियुक्त सलाहकारों द्वारा विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है;
- राज्य द्वारा एसएचए और एसएसए के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है;
- मास्टर प्लान को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है;
- पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाधीन है। 05 फरवरी, 2024 को टीओआर स्वीकृत हो गया है और पर्यावरण मंजूरी के लिए अंतिम आवेदन अप्रैल, 2024 में एसईआईएए, हरियाणा को प्रस्तुत किया गया;
- पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 21 जून, 2024 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की है;
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ङ. <u>कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी</u>

- राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध होने की पुष्टि के आधार पर नियुक्त सलाहकारों द्वारा एनआईसीडीआईटी ढांचे के तहत 2,595 एकड़ भूमि के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है;
- राज्य ने एसएसए और एसएचए के परिशिष्ट को अनुमोदित कर दिया है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी देने पर सहमति व्यक्त की है। अंतिम सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है;

- पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 21 जून, 2024 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की है;
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

च. <u>ओरवाकल औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, एचबीआईसी</u>

- राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, एनआईसीडीआईटी ढांचे के तहत 4,742 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है, जिसमें से 2,621 एकड़ भूमि को चरण-I सक्रियण क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;
- नियुक्त सलाहकारों ने चरण-1 सक्रियण क्षेत्र के लिए प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट और लागत अनुमान को अंतिम रूप दे दिया है;
- राज्य ने एसएसए और एसएचए के परिशिष्ट को अनुमोदित कर दिया है;
- मास्टर प्लान को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है;
- नवंबर, 2020 में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली गई है;
- पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 21 जून, 2024 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की है;
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

छ. <u>जहीराबाद फेज 1, तेलंगाना, एचएनआईसी</u>

- राज्य सरकार ने तेलंगाना में 3,245 एकड़ के क्षेत्रफल में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की पुष्टि की है;
- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- राज्य सरकार के साथ एसएचए/एसएसए के मसौदं को अंतिम रूप दिया गया है;
- पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परियोजना को एनआईसीडीआईटी द्वारा विचारार्थ और मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3. <u>अन्य स्टैंडअलोन परियोजनाएं:-</u>

3.1 <u>मॉडल सौर परियोजना, नीमराणा, राजस्थान:</u>

- एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड (एनएनएसपीएल) (जिसे पहले डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर कंपनी लिमिटेड - डीएनएसपीसीएल के नाम से जाना जाता था) एक विशेष प्रयोजन कंपनी है, जिसे मार्च 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एनआईसीडीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया ।
- कंपनी का मुख्य व्यवसाय सौर ऊर्जा का उत्पादन, विकास और संचय करना और ऐसी बिजली को पारेषित, वितरित और आपूर्त करना और नीमराणा, राजस्थान में 5 मेगावाट क्षमता वाले एक और 1 मेगावाट क्षमता वाले अन्य मॉडल सौर संयंत्रों को बढ़ावा देने, विकसित करने, प्रारंभ करने, इंजीनियर करने, निर्माण करने, पूरा करने, स्थापित करने, संचालित करने, रखरखाव करने, बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने और अपग्रेड करने का कार्य करना है।
- सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की ओर से एनआईसीडीसी लिमिटेड के इक्विटी योगदान के लिए एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड (एनएनएसपीएल) को 13 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
- 05 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 05 जून, 2015 को एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) निष्पादित किया गया था।
- 23 जुलाई, 2015 को 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को राज्य ग्रिड से जोड़ा गया और तत्पश्चात 3 सितम्बर, 2015 को इसे चालू किया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा कमीशनिंग प्रमाण पत्र जारी किया गया। राज्य ग्रिड (अर्थात 220 केवी आरआरवीपीएनएल जीएसएस नीमराणा) को विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार 8.77 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
- भारत में पहली स्मार्ट माइक्रो-ग्रिड परियोजना के रूप में 1 मेगावाट की मॉडल सौर ऊर्जा परियोजना की परिकल्पना की गई है, जो औद्योगिक डीजल जनरेटर सेट के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण का प्रदर्शन करती है।
- दो साल की प्रदर्शन अवधि के दौरान 10 जुलाई 2017 को 1 मेगावाट की क्षमता वाली माइक्रो ग्रिड सौर ऊर्जा आपूर्ति परियोजना चालू की गई। ऑफ-ग्रिड हाइब्रिड बिजली मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आपूर्त की गई और प्रदर्शन अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद 20 फरवरी, 2020 को पीपीए को पारस्परिक रूप से बंद कर दिया गया है।
- 12 फरवरी 2020 को 10 साल की अवधि के लिए 1 मेगावाट सौर ऊर्जा आपूर्ति की तृतीय पक्ष पार्टी बिक्री के लिए टोयोडा गोसी मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल) के साथ एक अन्य विद्युत क्रय करार (पीपीए) निष्पादित किया गया, जिसे राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 के परस्पर सम्मत नियमों और शर्तों के अनुसार 10 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 के अनुसार ओपन एक्सेस के माध्यम से 1 मेगावाट सौर ऊर्जा की तृतीय पक्ष बिक्री के लिए 1 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
- 08 अप्रैल 2021 को 1 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र को ग्रिड से जोड़ा गया और इसके बाद 19 अप्रैल, 2021 को इसे सिंक्रनाइज़ और चालू किया गया। सौर ऊर्जा को राज्य ग्रिड (यानी

33/11 केवी जेवीवीएनएल द्वितीय जीएसएस नीमराणा) में पहुंचाया जा रहा है और 1 जून 2021 से ओपन एक्सेस के माध्यम से टीजीएमआईपीएल को ~ 4.60 रुपये प्रति यूनिट के सहमत टैरिफ पर सौर ऊर्जा की तृतीय पक्ष बिक्री शुरू हो गई है, जिसमें ओपन एक्सेस शुल्क का 50% हिस्सा शामिल है।

3.2 <u>लॉजिस्टिक डेटा बैंक परियोजना:</u>

- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड) की लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) प्रणाली एक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स विज़ुअलाइज़ेशन समाधान है :-
    - जो केवल शिपिंग कंटेनर के नंबर का उपयोग करके एग्जिम कंटेनर मूवमेंट ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करती है;
    - बंदरगाहों से इनलैंड कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशनों तक;
    - तथा आयात और निर्यात यात्रा के दौरान बंदरगाह से जुड़े पार्किंग प्लाजा, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक गलियारों में भी निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।
- परियोजना का शुभारंभ हो गया और 1 जुलाई 2016 से जेएनपीटी बंदरगाह के सभी टर्मिनलों पर सेवाएं शुरू हो गईं।
- वर्तमान में, यह सेवा अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रमुख और कुछ छोटे बंदरगाहों पर चालू है और अब तक 72 मिलियन से अधिक कंटेनरों को टैग/डी-टैग किया जा चुका है।
- बेहतर प्रथम एवं अंतिम पड़ाव तक दृश्यता के लिए नेपाल और बांग्लादेश तथा 72 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) तक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार आवागमन के लिए भी सेवाओं का विस्तार किया गया।
- एलडीबी सभी एग्जिम हितधारकों के लिए हर महीने विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है, जो प्रदर्शन बेंचमार्क और बाधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- वर्तमान में, एलडीबी में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - भारत के एग्जिम कंटेनर वॉल्यूम का 100%
    - 18 पोर्ट (जिसमें 29 पोर्ट टर्मिनल शामिल हैं)
    - 435 सीएफएस, आईसीडी, खाली यार्ड और पार्किंग प्लाजा (आरएफआईडी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
    - 150 टोल प्लाजा (आरएफआईडी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
    - 03 आईसीपी (आरएफआईडी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
    - 72 एसईजेड (आरएफआईडी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
    - 5800 रेलवे स्टेशन (माल संचालन सूचना प्रणाली)।

3.3 <u>एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी):</u>

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के दायरे में एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) लॉन्च किया।
- यूएलआईपी एक डिजिटल गेटवे है जो उद्योग जगत के खिलाड़ियों को एपीआई आधारित एकीकरण के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटासेट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- 1800+ क्षेत्रों को कवर करते हुए 118+ एपीआई के माध्यम से 10 विभिन्न मंत्रालयों की 37 प्रणालियों के साथ यूएलआईपी का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।
- जनवरी 2022 में लॉन्च होने के बाद से यूएलआईपी पोर्टल पर 42 करोड़ से अधिक लेनदेन पूरे हो चुके हैं।
- यूएलआईपी पोर्टल (goulip.in) पर इसके शुभारंभ के बाद से निजी क्षेत्र से 976 पंजीकरण हुए हैं।
- वर्तमान में, 249 निजी कम्पनियों द्वारा उपयोग के 740 मामलों का सत्यापन किया जा चुका है।
- उपयोग के मामलों के विकास के लिए निजी कम्पनियों के साथ 195 से अधिक गैर-प्रकटीकरण करार (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यूएलआईपी के एपीआई का लाभ उठाते हुए 76 निजी कम्पनियों के 110 एप्लीकेशन विकसित किए गए।

4. <u>औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक (एबीडी) से नीति आधारित ऋण (पीबीएल)</u>

- मार्च 2020 में, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग समिति ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए नीति आधारित ऋण (पीबीएल) के रूप में 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता को मंजूरी दी। प्रस्तावित ऋण कार्यक्रम का उद्देश्य नीतिगत सुधारों के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए औद्योगिक गलियारों के विकास में डीपीआईआईटी / एनआईसीडीसी / एनआईसीडीआईटी को सहायता प्रदान करना है।

- पीबीएल को कार्यक्रमिक दृष्टिकोण के तहत 250 मिलियन डॉलर प्रत्येक के दो उप-कार्यक्रमों/किश्तों के साथ संरचित किया गया। कार्यक्रम की निष्पादन एजेंसी (ईए) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, जो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से कार्य करती है, तथा कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) एनआईसीडीआईटी है, जिसे एनआईसीडीसी का सहयोग प्राप्त है।

- यह ऋण भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से लिया गया है तथा इसे चुकता करने और पुनर्भुगतान करने का दायित्व भी भारत सरकार का होगा। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए समग्र रूप से स्वीकृत कॉपर्स फंड में अनुदान सहायता के रूप में डीपीआईआईटी के माध्यम से एनआईसीडीआईटी को निधि जारी की जाती रहेगी, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित

संस्थागत और वित्तीय ढांचे के अनुसार इक्विटी और/या ऋण के रूप में परियोजना एसपीवी को आगे जारी किया जाएगा।

- उप-कार्यक्रम 1 में दस (10) नीतिगत कार्य शामिल थे, जिनका उद्देश्य औद्योगिक गलियारों में एकीकृत विकास, वित्त पोषण के नवाचारी समाधान और निवेश प्रोत्साहन के लिए संस्थागत संरचनाओं और तंत्र को मजबूत करना है। निष्पादन एजेंसी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नीति मैट्रिक्स में उल्लिखित नीतिगत कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, एडीबी ने अक्टूबर 2021 में भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के पीबीएल के पहले उप-कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसके बाद, जनवरी 2022 में ऋण को प्रभावी किया गया और भारत सरकार की समेकित निधि में संवितरित कर दिया गया।

- उप-कार्यक्रम 1 के साथ-साथ, एडीबी ने उप-कार्यक्रम 2 के अंतर्गत कुछ नीतिगत कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता के लिए अनुदान के रूप में भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए ज्ञान सेवाओं हेतु 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता (टीए) के प्रावधान को भी मंजूरी दी।

- उप-कार्यक्रम 2 (250 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के लिए, सुधार के तीन क्षेत्रों के अंतर्गत 10 नीतिगत कार्य सूचीबद्ध किए गए। निष्पादन एजेंसी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नीति मैट्रिक्स में उल्लिखित नीतिगत कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, एडीबी बोर्ड ने दिसंबर 2023 में भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के पीबीएल के द्वितीय उप-कार्यक्रम को मंजूरी दी।

- 15 दिसंबर, 2023 को ऋण करार (एडीबी और डीईए के बीच) और कार्यक्रम करार (एडीबी और डीपीआईआईटी के बीच) निष्पादित किए गए। इसके बाद, ऋण को प्रभावी करने की सभी शर्तें पूरी हो जाने पर, एडीबी ने ऋण को 31 जनवरी, 2024 से प्रभावी घोषित किया और इसे 08 फरवरी, 2024 को भारत सरकार के समेकित निधि में संवितरित कर दिया गया।

- अब, प्रोग्राम पश्चात साझेदारी रूपरेखा के हिस्से के रूप में, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के विकास के संबंध में विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए एडीबी ने तकनीकी सहायता (टीए) के मौजूदा प्रावधान को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, एडीबी के परामर्श से प्रस्तावित अध्ययन के संक्षिप्त विचारार्थ विषयों (टीओआर) को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

- अध्ययन में औद्योगिक गलियारा परिप्रेक्ष्य योजनाओं (डीएमआईसी और ईसीईसी) की समीक्षा और अद्यतन करने, गलियारे के तहत चिन्हित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने और एनआईसीडीसीएल के गलियारा विकास कार्यक्रम में विनिर्माण की नई रुझानों

और औद्योगिक अवसंरचना की योजना के लिए हाल ही में अपनाए गए सिद्धांतों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं की उच्च-स्तरीय पहचान करने की मांग की गई है। इसके लिए, एडीबी परामर्शदाताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा जो औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के विश्लेषणात्मक अध्ययन में सहायता करेंगे।

5. वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार द्वारा ट्रस्ट के मुख्य कोष और अतिरिक्त कोष के लिए क्रमशः 30.35 करोड़ रुपये और 5.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और उसका उपयोग किया गया।

वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रस्ट का वित्तीय सारांश इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2022-23**
कॉर्पस/पूंजी निधि	9239.93	9176.05
निर्धारित निधि	शून्य	शून्य
वर्तमान देयताएं	0.10	0.09
गैर वर्तमान देयताएं	शून्य	शून्य
अचल परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य
निवेश	8709.41	8705.83
वर्तमान परिसंपत्तियां	530.62	470.31
सकल आय	34.01	29.78
व्यय पर आय का आधिक्य/(कमी)	33.92	29.69

लेखा परीक्षक

न्यास विलेख के खंड 13 के अनुसार, एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन है ।

भारत के राष्ट्रपति ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अगली अवधि के लिए एनआईसीडीआईटी के खातों की लेखा परीक्षा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को सौंपा है।

वर्ष के दौरान, सीएंडएजी के लेखा परीक्षा दल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खाते की लेखा परीक्षा और 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा की।

कर्मचारियों का विवरण

वर्ष 2023-24 के दौरान एनआईसीडीआईटी के पास कोई कर्मचारी नहीं है। ज्ञान साझेदार होने के नाते एनआईसीडीसी लिमिटेड एनआईसीडीआईटी को सभी सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

आभार

ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी ट्रस्टियों के सतत मार्गदर्शन, समर्थन, सहयोग और योगदान के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कृते राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट के लिए

हस्ता/-

(रजत कुमार सैनी)
सीईओ एवं सदस्य-सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 जुलाई, 2024

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्याः रिपोर्ट/4(2)/विविध/
एस.ए.आर. /2023-24/324-27

दिनांकः
11 NOV 2024

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य भवन,
नई दिल्ली- 110011

विषयः वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एवं इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) के लेखों पर पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एवं इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) के अंकेक्षित वार्षिक लेखों की प्रति तथा उन पर पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित किया जा रहा है। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के दोनो सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करने से पहले, शासी निकाय (Governing Council) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

इस विषय में अनुरोध है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेज़ की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएँ।

भवदीया,

संलग्नः यथोक्त

-ह०-
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के 31 अगस्त 2022 के कार्य समर्पण पत्र सं. 1(17)-बी(आरएंडसी)/2022 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के संलग्न तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व ट्रस्ट के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखांकन की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटन के मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां निहित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियामक) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलू आदि पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्ट सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में लेखा परीक्षा के आमतौर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के तहत यह अपेक्षित है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का आकलन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए है।

iii. हमारे अभिमत में, एनआईसीडीआईटी द्वारा 27 सितंबर 2012 के न्यास विलेख की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियों और अन्य संगत अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. हम यह भी सूचित करते हैं कि:

अ. सहायता अनुदान

1 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार एनआईसीडीआईटी के पास परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) और परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) स्कीम के लिए 4.40 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त शेष था। वर्ष 2023-24 के दौरान, एनआईसीडीआईटी को 35.36 करोड़ रुपये (पीआईएफ के लिए 30.35

करोड़ रुपये, पीडीएफ के लिए 5.00 करोड़ रुपये और स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत, एनआईसीडीसी लिमिटेड को भुगतान के लिए 0.01 करोड़ रुपये) का अनुदान प्राप्त हुआ था। एनआईसीडीआईटी ने वर्ष के दौरान 39.06 करोड़ रुपये का उपयोग किया। इसके अलावा, इसको वर्ष 2023-24 के दौरान 2.29 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड, ऋण और अग्रिम पर 93.70 करोड़ रुपये का ब्याज, 106.30 करोड़ रुपये की ऋण चुकौती और 0.59 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज एवं लाभांश प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार अंत शेष 203.58 करोड़ रुपये था।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खाता-बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखा पर नोट्स के साथ पठित, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में लेखांकन के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक यह तुलन पत्र से संबंधित है, 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के संलग्न तुलन पत्र का; और

ख. जहां तक यह आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष का।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 11 नवंबर, 2024

पृथक लेखापरीक्षा का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

ट्रस्ट में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

ट्रस्ट में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

3. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

एनआईसीडीआईटी के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।

4. सामग्री-सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

एनआईसीडीआईटी के पास कोई सामग्री-सूची नहीं है।

5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

एनआईसीडीआईटी सांविधिक बकायों का नियमित रूप से भुगतान कर रही है।

हस्ता/-

निदेशक (एएमजी-III)

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

तुलन पत्र

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2023-24	2022-23
कॉर्पस / पूंजी निधि और देयताएं			
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	92,39,93,06,049	91,76,04,91,269
आरक्षित एवं अधिशेष निधि	-	-	-
निर्धारित / एकमुश्त निधि	-	-	-
ऋण और उधार	-	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	2	10,36,169	8,64,521
कुल		**92,40,03,42,218**	**91,76,13,55,790**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियाँ	-	-	-
निवेश	3	87,09,40,95,581	87,05,83,01,831
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	5,30,62,46,637	4,70,30,53,959
कुल		**92,40,03,42,218**	**91,76,13,55,790**
लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का अंतर्निहित भाग हैं।

कृते राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

हस्ता/- हस्ता/-

(रजत कुमार सैनी) **(राजेश कुमार सिंह)**

सीईओ एवं सदस्य-सचिव **अध्यक्ष**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 जुलाई, 2024

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2023-24	2022-23
आय			
अर्जित ब्याज	5	33,75,03,307	29,59,43,855
अन्य आय	6	26,35,423	18,73,610
कुल (क)		**34,01,38,730**	**29,78,17,465**
व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय	7	9,01,583	9,50,221
कुल (ख)		**9,01,583**	**9,50,221**
आय के व्यय से अधिक होने के रूप में शेष राशि (क - ख)		33,92,37,147	29,68,67,244
अतिरिक्त कोष में अंतरित		6,62,564	6,70,999
सामान्य रिजर्व में/से अंतरित		-	-
अधिशेष/(घाटा) होने के कारण मुख्य कोष/पूंजी निधि में अग्रेषित		**33,85,74,583**	**29,61,96,245**
लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का अंतर्निहित भाग हैं।

कृते राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

हस्ता/-

(रजत कुमार सैनी)
सीईओ एवं सदस्य-सचिव

हस्ता/-

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 8 जुलाई, 2024

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

प्राप्तियां और भुगतान

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

प्राप्ति	2023-24	2022-23	भुगतान	2023-24	2022-23
I. प्रारंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) रोकड़ शेष	-	-	अन्य प्रशासनिक व्यय	7,29,935	7,73,737
ख) बैंक शेष					
i) बचत खातों में	76,485	81,079	**II. सेवा शुल्क और कर व्यय**		
ii) जमा खातों में	4,39,19,802	16,44,78,317	क) मुख्य कोष से	39,62,367	1,43,56,086
			ख) अतिरिक्त कोष से	-	-
II. प्राप्त अनुदान					
क) भारत सरकार से			**III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान**		
मुख्य कोष में	30,35,40,000	1,08,66,73,200	क) मुख्य कोष से		
ख) भारत सरकार से			- ऋण जारी करना:		
अतिरिक्त कोष में			i) एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	30,00,00,000	1,00,00,00,000
- परियोजना विकास गतिविधियां	5,00,00,000	1,00,000	ख) अतिरिक्त कोष से		
- स्वच्छता कार्य योजना	1,00,000	1,00,000	- एनआईसीडीसी को अनुदान सहायता जारी करना:		
			- परियोजना विकास की गतिविधियों को पूरा करने के लिए	5,00,00,000	1,00,000
III. निवेश पर आय			- स्वच्छता कार्य योजना के लिए	1,00,000	1,00,000
क) मुख्य कोष	-	-			
ख) अतिरिक्त कोष	-	-			
			IV. किए गए निवेश और जमा		
IV. प्राप्त ब्याज			क) मुख्य कोष से		
क) बैंक जमा पर (टीडीएस घटाकर)	19,24,865	47,07,447	- निम्न को इक्विटी जारी करना:		
ख) बचत खातों पर	12,82,241	85,937	i) एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	3,57,93,750	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	93,69,80,225	-	ii) एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	-	2,50,00,000
			iii) एनआईसीडीसी उत्तराखंड औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड	-	2,50,00,000
V. अन्य आय (अनुसूची 6 के संदर्भ में)			iv) एनआईसीडीआईटी कृष्णापटनम इंडस्ट्रियल सिटी डवलपमेंट लिमिटेड	-	11,76,17,400
क) मुख्य कोष	26,28,501	18,67,683	v) राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	-	4,90,00,000
ख) अतिरिक्त कोष	6,922	5,927	ख) अतिरिक्त कोष से	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	**V. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय एवं प्रगतिरत पूंजी कार्य**	-	-
VII. कोई अन्य प्राप्तियां					
क) आयकर रिफंड	2,29,17,315	1,78,43,920	**VI. अधिशेष धन/ऋण की वापसी**	-	-
ख) एनआईसीडीसी लिमिटेड से व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-			
ग) एसपीवी से ऋण की चुकौती	1,06,30,19,775	-	**VII. वित्त प्रभार (ब्याज)**	-	-
			VIII. अन्य भुगतान	-	-
			IX. अंत शेष		
			क) रोकड़ शेष	-	-
			ख) बैंक शेष		
			i) बचत खातों में	21,82,528	76,485
			ii) जमा खातों में	2,03,36,27,551	4,39,19,802
कुल	**2,42,63,96,131**	**1,27,59,43,510**	**कुल**	**2,42,63,96,131**	**1,27,59,43,510**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 8 जुलाई, 2024

हस्ता/-

(रजत कुमार सैनी)

सीईओ एवं सदस्य-सचिव

हस्ता/-

(राजेश कुमार सिंह)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

(राशि रुपये में)

विवरण		2023-24	2022-23
अनुसूची 1 : कॉर्पस/पूंजी निधि			
1.0. मुख्य कॉर्पस/पूंजी निधि			
वर्ष के शुरू में शेष		91,74,71,10,248	90,37,85,96,889
जोड़ें: कॉर्पस / पूंजी निधि के लिए प्राप्त अंशदान		30,35,40,000	1,08,66,73,200
घटाएं: सेवा शुल्क*		(33,57,938)	(1,21,66,174)
घटाएं: सेवा शुल्क पर कर व्यय**		(6,04,429)	(21,89,912)
जोड़ें / (घटाएं): आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय / व्यय का शेष		33,85,74,583	29,61,96,245
वर्ष के अंत में शेष राशि (क)		**92,38,52,62,464**	**91,74,71,10,248**
1.1. एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) के लिए अतिरिक्त कोष			
वर्ष के शुरू में शेष		4,72,96,25,787	4,72,94,25,787
जोड़ें: कॉर्पस / पूंजी निधि के अतिरिक्त अंशदान			
- परियोजना विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए		5,00,00,000	1,00,000
- स्वच्छता कार्य योजना के लिए		1,00,000	1,00,000
	(अ)	4,77,97,25,787	4,72,96,25,787
जोड़ें: आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय / व्यय का शेष			
- पिछले वर्ष तक		38,46,82,234	38,40,11,235
- चालू वर्ष के दौरान		6,62,564	6,70,999
	(आ)	38,53,44,798	38,46,82,234
घटाएं: एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी अनुदान सहायता के लिए उपयोग की गई राशि			
- पिछले वर्ष तक		5,10,09,27,000	5,10,07,27,000
- चालू वर्ष के दौरान		5,01,00,000	2,00,000
	(इ)	5,15,10,27,000	5,10,09,27,000
वर्ष के अंत में शेष राशि (ख) = [(अ) + (आ) - (इ)]		**1,40,43,585**	**1,33,81,021**
कुल योग (क + ख)		**92,39,93,06,049**	**91,76,04,91,269**

** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी के अनुपालन में कि एनआईसीडीसी को आगे जारी करने के लिए डीपीआईआईटी से गैर आवर्ती अनुदान के रूप में प्राप्त सेवा शुल्क और उस पर कर व्यय की राशि एनआईसीडीआईटी की प्रशासनिक आय का हिस्सा नहीं है और इसे आय और व्यय खाते के माध्यम से दर्शाए बिना कॉर्पस से घटाया गया है।*

*** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों के अनुपालन में, न्यासी बोर्ड द्वारा 21 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी 8वीं बैठक में स्पष्टीकरण दिया गया कि एनआईसीडीआईटी द्वारा विभिन्न परियोजना/नोड एसपीवी को इक्विटी/ऋण के रूप में जारी धनराशि पर एक वर्ष में 20 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन एनआईसीडीसी लिमिटेड को 1% की दर से भुगतान किया गया सेवा शुल्क लागू करों को छोड़कर है। तदनुसार, एनआईसीडीसी लिमिटेड को भुगतान किया गया सेवा शुल्क और सेवा शुल्क पर 18% जीएसटी को अलग से दिखाया गया है।*

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

(राशि रुपये में)

विवरण		2023-24	2022-23
अनुसूची 2 : चालू देयताएं और प्रावधान			
2.0. चालू देयताएं			
1. विविध ऋणदाता:			
(क) माल के लिए		-	-
(ख) अन्य		1,15,930	1,14,282
2. वैधानिक देयताएं			
(क) अन्य			
- स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)		9,500	9,500
	(क)	1,25,430	1,23,782
2.1. प्रावधान			
1. अन्य			
(क) लेखा परीक्षा शुल्क के लिए प्रावधान			
- चालू वर्ष		1,70,000	1,70,000
- पिछला वर्ष		7,40,739	5,70,739
	(ख)	9,10,739	7,40,739
कुल (क + ख)		**10,36,169**	**8,64,521**
अनुसूची 3 : निवेश			
1. निर्धारित / एकमुश्त निधि से निवेश		-	-
2. निवेश - अन्य			
(क) शेयर			
इक्विटी शेयरों में निवेश (अनुसूची 9 की टिप्पणी संख्या 4.0 के संदर्भ में)			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		55,93,00,000	55,93,00,000
- डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड		14,70,25,26,880	14,70,25,26,880
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के नाम से विदित)		30,00,00,00,000	30,00,00,00,000
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		27,84,83,00,001	27,84,83,00,001
- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लिमिटेड		4,01,98,000	4,01,98,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड		2,11,63,35,500	2,08,05,41,750
- धोलेरा इंटरनेशनल एअरपोर्ट कंपनी लिमिटेड		24,24,00,000	24,24,00,000
- सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड		5,86,73,86,600	5,86,73,86,600
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापटनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		5,33,86,48,600	5,33,86,48,600
- सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000
- केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000
- राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड		4,90,00,000	4,90,00,000
- एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000
- एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000
(ख) अन्य			
- एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी की गई धनराशी (अनुसूची 9 की टिप्पणी संख्या 3 के संदर्भ में)		13,00,00,000	13,00,00,000
कुल		**87,09,40,95,581**	**87,05,83,01,831**

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

(राशि रुपये में)

विवरण		2023-24	2022-23
अनुसूची 4 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि			
4.0. चालू परिसंपत्तियाँ			
1. अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष:			
(क) जमा खातों में			
- मुख्य कोष		2,02,00,15,090	3,10,44,221
- अतिरिक्त कोष		1,36,12,461	1,28,75,581
(ख) बचत खातों पर			
- मुख्य कोष		18,03,919	25,054
- अतिरिक्त कोष		3,78,609	51,431
	(क)	**2,03,58,10,079**	**4,39,96,287**
4.1. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ:			
1. निम्नलिखित को ऋण एवं अग्रिम (जो अच्छे एवं वसूली योग्य माने गए):			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड*		1,54,23,80,225	2,60,54,00,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड		1,30,00,00,000	1,00,00,00,000
2. बैंक में जमा राशि पर अर्जित एवं देय ब्याज:			
- मुख्य कोष		3,49,02,740	73,854
- अतिरिक्त कोष		-	3,47,342
3. निम्नलिखित से ऋण पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज और अग्रिम:			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड**		-	93,69,80,225
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड***		15,32,57,692	6,37,15,069
4. निम्नलिखित से ऋण और अग्रिम पर प्रोद्भूत और देय ब्याज:			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		17,66,49,867	-
5. अन्य :			
- स्रोत पर काटा गया कर			
i. मुख्य कोष		6,31,09,180	5,24,09,533
ii. अतिरिक्त कोष		1,31,733	1,26,528
- पूर्वदत्त व्यय		5,121	5,121
	(ख)	**3,27,04,36,558**	**4,65,90,57,672**
कुल (क + ख)		**5,30,62,46,637**	**4,70,30,53,959**

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋण की चुकौती के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसे 8 जनवरी, 2024 को आयोजित एनआईसीडीआईटी की 12वीं बैठक में ट्रस्टियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार और करार के खंड 6.5 के प्रावधानों के अनुसार 93,69,80,225/- रुपये 31 मार्च, 2023 तक बकाया ब्याज और 106,30,19,775/- रुपये को 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार बकाया मूल राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

** डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के साथ निष्पादित ऋण करार के खंड 5.1 के अनुसार, एसपीवी को वितरित ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज 07 जुलाई 2015 को परियोजना प्रारंभ तिथि से शुरू होने वाली 10 वर्ष की स्थगन अवधि के पूरा होने के बाद ही प्राप्त होगा।

*** एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी लॉजिस्टेक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ निष्पादित ऋण करार के खंड 5.1 के अनुसार, एसपीवी को वितरित ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज प्रथम संवितरण की तिथि अर्थात 01 जून 2022 से शुरू होने वाली 10 वर्ष की स्थगन अवधि के पूरा होने के बाद ही प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

विवरण	2023-24	2022-23
अनुसूची 5 : अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर (अनुसूचित बैंकों में):		
(क) मुख्य कोष	3,97,97,712	29,40,514
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - 39,79,828/- रुपये]		
(पिछले वर्ष - 3,27,057/- रुपये)		
(ख) अतिरिक्त कोष	6,53,921	6,63,883
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - 65,396/- रुपये]		
(पिछले वर्ष - 66,337/- रुपये)		
2. बचत खातों पर (अनुसूचित बैंकों में):		
(क) मुख्य कोष	12,80,520	84,748
(ख) अतिरिक्त कोष	1,721	1,189
3. ऋणों पर :	29,57,69,433	29,22,53,521
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - 2,95,76,943/- रुपये]		
(पिछले वर्ष - 2,92,25,352/- रुपये)		
कुल	**33,75,03,307**	**29,59,43,855**
अनुसूची 6 : अन्य आय		
1. आयकर रिफंड पर ब्याज :		
(क) मुख्य कोष	26,28,501	18,67,683
(ख) अतिरिक्त कोष	6,922	5,927
2. प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
कुल	**26,35,423**	**18,73,610**
अनुसूची 7 : अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
- चालू वर्ष	1,70,000	1,70,000
- पिछला वर्ष	-	-
ख) व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	1,18,590	1,18,590
ग) शेयर विभौतिकीकरण व्यय	6,07,782	6,55,010
- अन्य		
- विविध व्यय	5,211	6,621
कुल	**9,01,583**	**9,50,221**

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

लेखों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

1.0 लेखों को तैयार करने का प्रारूप

विशेषज्ञ समिति की नवंबर 2000 की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित 'लेखा के एकसमान प्रारूप' के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

2.0 लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणों को जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं कहा जाए ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किया गया हैं।

3.0 दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेशों को वास्तविक लागत पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें अधिग्रहण से संबंधित लागत भी शामिल है।

4.0 अचल परिसंपत्तियाँ

4.1 अचल परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता, यदि कोई हो, को घटाकर दिखाया गया है;

4.2 अधिग्रहण से सीधे जुड़ी लागतों को तब तक पूंजीकृत किया गया है जब तक कि परिसंपत्तियां प्रबंधन के इरादे के अनुसार उपयोग के लिए तैयार नहीं हो गई हैं;

4.3 स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुवर्ती व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ ट्रस्ट को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। मरम्मत एवं रखरखाव लागत को आय एवं व्यय लेखा में तब स्वीकृति दी गई है जब वह व्यय हुआ है;

4.4 लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पद्धति पर मूल्यह्रास योग्य राशि की सीमा तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर प्रदान किया गया है।

5.0 सरकारी अनुदान

5.1 ट्रस्ट को भारत सरकार से निम्नलिखित के लिए अलग से गैर आवर्ती/आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त होती है:

(i) ट्रस्ट के मुख्य कोष के लिए "पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन" जिसे "कॉर्पस/पूंजी निधि" के अंतर्गत "मुख्य कोष" के रूप में दर्शाया गया है; तथा

(ii) "सामान्य" जो परियोजना विकास की गतिविधियों को पूरा करने और 'स्वच्छता कार्य योजना' के तहत गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) लिमिटेड) को दिया जाना है और इसे "कॉर्पस / पूंजी निधि" के तहत "अतिरिक्त कोष" के रूप में दिखाया गया है।

5.2 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

लेखों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

6.0 राजस्व स्वीकरण:

6.1 आय को प्रोद्भवन आधार पर स्वीकृति दी गई है।

6.2 "मुख्य कोष" और "अतिरिक्त कोष" की अधिशेष निधियों पर अर्जित ब्याज को इन संबंधित शीर्षों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

7.0 अन्य प्रशासनिक व्यय

अन्य प्रशासनिक व्यय "मुख्य कोष/पूंजी निधि" शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान सहायता की अधिशेष निधियों पर ब्याज आय से पूरा किया जाता है।

8.0 सेवा शुल्क

26 जुलाई, 2016 से परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) में से विभिन्न परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा जारी की गई धनराशि के बदले में एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रोद्भवन आधार पर 1% प्लस लागू कर की दर से सेवा शुल्क (एक वर्ष में अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपये प्लस लागू कर के अधीन) को स्वीकृति दी गई है।

चूंकि, एनआईसीडीसी को सेवा शुल्क और उस पर कर व्यय आगे जारी करने के लिए डीपीआईआईटी से गैर आवर्ती अनुदान के रूप में प्राप्त होता है और यह एनआईसीडीआईटी की प्रशासनिक आय का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे वित्त वर्ष 2023-24 से आय और व्यय खाते में दर्शाए बिना मुख्य कोष से घटाया गया है।

9.0 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में व्यय को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित बाजार विनिमय दर पर लेखांकित किया गया है तथा विदेशी मुद्राओं में आय को इन मुद्राओं से प्राप्त मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

10.0 लीज़

लीज़ को परिचालन लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां पट्टाकर्ता लीज़ अवधि के दौरान स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से अपने पास रखता है। लीज़ करार की शर्तों के अनुसार परिचालन लीज़ भुगतान को प्रोद्भवन आधार पर आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में स्वीकृत दी गई है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

लेखों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1.0 27 सितम्बर, 2012 को न्यास विलेख के निष्पादन के माध्यम से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड) का गठन किया गया।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने 22 दिसंबर, 2016 के आदेश संख्या 11/1/2016-आईसी के माध्यम से 7 दिसंबर, 2016 को आयोजित अपनी कैबिनेट बैठक में मौजूदा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना के साथ अन्य औद्योगिक गलियारों, यानी अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी), बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी), चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) के साथ उसका कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक विस्तार (एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा 30 अगस्त 2019 को आयोजित चौथी बैठक में अनुमोदित) और पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा (ईसीआईसी) परियोजनाओं के हिस्से के रूप में विजाग - चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) को शामिल करने के लिए ट्रस्ट के अधिदेश का विस्तार करने और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में इसे पुन: नामोद्दिष्ट करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी से अवगत कराया।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 30 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समग्र ढांचे के भीतर 11 औद्योगिक गलियारों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इन 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं में से 5 को भारत सरकार से पहले ही मंजूरी मिल गई थी।

2.0 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक शहरों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 15 सितम्बर, 2011 को अनुमोदित वित्तीय एवं संस्थागत ढांचे के अनुसार, भारत सरकार औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 2011-12 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए ट्रस्ट को 17,500 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी। परियोजना विकास की गतिविधियों को पूरा करने और अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना विशिष्ट एसपीवी का निर्माण करने और परियोजना विशिष्ट एसपीवी से मिलकर क्षेत्रीय नियंत्रक कंपनियों का गठन करने के लिए ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, जिसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) लिमिटेड के नाम से विदित) को अगले पांच वर्षों में अनुदान सहायता के रूप में दिया जाएगा।

भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को आयोजित बैठक में 1584 करोड़ रुपये (अर्थात अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए 1500 करोड़ रुपये और एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक खर्चों के लिए 84 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त स्वीकृत राशि के साथ उपरोक्त अनुमोदित वित्तीय सहायता को 31 मार्च, 2022 तक विस्तारित अवधि के भीतर उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिसे 30 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक में भारत सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष के दौरान, मुख्य कोष/पूंजी निधि के लिए 30.354 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 108.67 करोड़ रुपये) और अतिरिक्त कोष के लिए 5.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.02 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई।

ट्रस्ट में भारत सरकार के योगदान का उपयोग परिक्रामी कोष के रूप में किया जाएगा।

परियोजना विकास की गतिविधियों पर व्यय को पूरा करने के लिए एनआईसीडीसी को जारी किए गए अतिरिक्त कोष के विरुद्ध प्राप्त राशि को एनआईसीडीआईटी के लिए उपयोग की गई राशि के रूप में माना गया है।

हालाँकि, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एनआईसीडीसी लिमिटेड की लेखा बहियों में एनआईसीडीआईटी द्वारा जारी की गई संचयी निधियों, उस पर अर्जित ब्याज और एसपीवी से वसूल की गई राशि में से 19,25,07,641/- रुपये (पिछले वर्ष- 11,34,48,346/- रुपये) की राशि शेष है।

3.0 आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को ट्रस्ट के मुख्य कोष/पूंजी निधि में से 13,00,00,000/- रुपये (मात्र तेरह करोड़ रुपये) की राशि हस्तांतरित की गई थी, जिसे 6.00 मेगावाट की मॉडल सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) के माध्यम से ट्रस्ट के 100% इक्विटी निवेश के लिए इसकी 100% स्वामित्व वाली एसपीवी "एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड" (पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी करने के लिए हस्तांतरित किया गया था। इस तरह के निवेश से प्राप्त होने वाला लाभ एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) के माध्यम से ट्रस्ट को वापस मिलेगा। इस प्रकार जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की संचित निधि से कम कर दी गई।

लेनदेन के प्रकटीकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के अनुरोध पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त की गई राय के अनुसार, ट्रस्ट के मुख्य कोष/पूंजी कोष से कम की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वापस जोड़ दिया गया है। संबंधित प्रकटीकरण "निवेश" शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।

4.0 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर में निवेश

एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निवेश	धारित शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	एनआईसीडीआईटी की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	न्यासियों द्वारा धारित शेयरों की संख्या		
					श्री राजेश कुमार सिंह	श्री टी के रामचंद्रन	श्री रजत कुमार सैनी
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998
डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के नाम से विदीत)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994
धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डवलपमेंट लिमिटेड	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996

अनुसूची 9 : आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लिमिटेड	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798
एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	2,11,63,35,500	21,16,33,550	10	50%	1	1	21,16,33,548
धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कंपनी लिमिटेड	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000
सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658
एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डवलपमेंट लिमिटेड	5,33,86,48,600	53,38,64,860	10	50%	1	1	53,38,64,858
सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	4,90,00,000	49,00,000	10	49%	1	1	48,99,998
एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
कुल	**86,96,40,95,581**	**8,64,60,72,558**			**18**	**18**	**8,64,60,72,522**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर में निवेश

एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निवेश	धारित शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	एनआईसीडीआईटी की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	न्यासियों द्वारा धारित शेयरों की संख्या			
					श्री अनुराग जैन	श्री टी वी सोमनाथन	श्रीमती सुमिता दावरा	श्री सुधांश पंत
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998	-
डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686	-
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के नाम से विदित)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994	-
धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डवलपमेंट लिमिटेड	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996	-
एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लिमिटेड	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798	-
एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998	-
डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998	-
एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	2,08,05,41,750	20,80,54,175	10	50%	1	1	20,80,54,173	-
धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कंपनी लिमिटेड	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000	-
सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658	-
एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डवलपमेंट लिमिटेड	5,33,86,48,600	53,38,64,860	10	50%	1	1	53,38,64,858	-
सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998	-
केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998	-
राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	4,90,00,000	49,00,000	10	49%	1	1	48,99,998	-
एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	-	24,99,998	1
एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	-	24,99,998	1
कुल	**86,92,83,01,831**	**8,64,24,93,183**			**18**	**16**	**8,64,24,93,147**	**2**

अनुसूची 9 : आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

5.0 कर्मचारी लाभ

ट्रस्ट के पास कोई कर्मचारी नहीं है। सेवानिवृत्ति लाभ सहित कर्मचारी लाभ के लिए देयता का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष: शून्य) है।

6.0 आकस्मिक देयताएं

ट्रस्ट की आकस्मिक देयता शून्य (पिछले वर्ष: शून्य) है।

7.0 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

ट्रस्ट की पूंजीगत प्रतिबद्धता शून्य (पिछले वर्ष: शून्य) है।

8.0 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में तथा उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, चालू परिसंपत्तिया, ऋण और अग्रिम व्यापार की सामान्य विधि से प्राप्य मूल्यों पर है जो तुलन पत्र में उल्लेखित की गई राशि से कम नहीं होगा।

9.0 कराधान

ट्रस्ट द्वारा 28 मार्च, 2013 को दायर किए गए आवेदन के उत्तर में आयकर निदेशक (छूट) ने 13 अगस्त, 2013 के आदेश के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के साथ पठित धारा 12ए के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से पंजीकरण प्रदान किया है। तदनुसार, ट्रस्ट ने आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत स्वयं को पुनः पंजीकृत कराया है। प्रधान आयकर आयुक्त ने 28 मई, 2021 के आदेश के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (एसी) के उपखंड (i) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2022-23 से कर निर्धारण वर्ष 2026-27 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से दो महीने पहले ट्रस्ट की आय में से 25,85,59,908/- रुपये (पिछले वर्ष - 40,53,643/- रुपये) की राशि अलग रखी जाएगी, जिसका उपयोग औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के उद्देश्य से 5 वर्षों के भीतर यानी 31 मार्च, 2029 तक किया जाना है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार, ऋण पर ब्याज आय, जो वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई है, के संबंध में 29,57,69,433/- रुपये (पिछले वर्ष - 29,22,53,521/- रुपये) के लिए फॉर्म 9ए दायर किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक अलग रखी गई राशि का उपयोग औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए पहले ही किया जा चुका है।

	राशि (रुपये में)	राशि (रुपये में)
10.0 विदेशी मुद्रा लेनदेन	**2023-24**	**2022-23**
10.1 विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य
10.2 विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य

11.0 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

11.1 लेखा परीक्षा शुल्क		
- चालू वर्ष के लिए	1,70,000	1,70,000
- पिछले वित्तीय वर्षों के लिए	-	-
11.2 कराधान के मामलों के लिए	-	-
11.3 अन्य सेवाओं के लिए	-	-

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

लेखों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

12.0 परियोजना विकास व्यय

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्व में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के नाम से विदित) के वार्षिक खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्ड्एजी) की टिप्पणियों के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच गठित संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) में से एनआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा किए गए 'परियोजना विकास व्यय' को हस्तांतरित करने का विषय एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड के विचारार्थ 06 मार्च, 2018 को आयोजित इसकी तीसरी बैठक में रखा गया था।

न्यासी बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, एनआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा उक्त सहायक कंपनियों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की गई परियोजना विकास निधि से किए गए 'परियोजना विकास व्यय' को संबंधित एसपीवी को हस्तांतरित कर दिया गया है, जहां भी एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों के बीच शेयरधारक करार में वसूली का प्रावधान है और इसकी वसूली तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है जब तक कि एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधि उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो जाती।

इसके अलावा, एनआईसीडीसी लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के अनुसार, जो परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं या जिन पर आगे कोई गतिविधि नहीं की जायेगी या एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार (सरकारों)/नोडल एजेंसी (एजेंसियों) के बीच शेयरधारक करार में ऐसी वसूली का प्रावधान नहीं है, उनके लिए किए गए परियोजना विकास व्यय को एनआईसीडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में 'पूंजीगत आरक्षित निधि' शीर्ष के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से घटाए जाने के रूप में दर्शाया गया है।

13.0 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल आवंटित धनराशि (बजट अनुमान: 2000 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान: 36.554 करोड़ रुपये) में से केवल 35.364 करोड़ रुपये की राशि ही प्राप्त और उपयोग की जा सकी। प्राप्त न होने वाली शेष राशि उन परियोजना प्रस्तावों से संबंधित है जो भारत सरकार के विचाराधीन और अनुमोदन के लिए हैं।

14.0 प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण

प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण वर्ष के दौरान नकदी के अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर तैयार किया गया है।

15.0 लेखांकन नीति में परिवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों के अनुसार, लेखांकन नीति संख्या 8.8.0 में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान सेवा शुल्क और उस पर कर व्यय के रूप में एनआईसीडीसी को भुगतान की गई 39,62,367/- रुपये की राशि मुख्य कोष से घटा दी गई है।

नीति में उपरोक्त परिवर्तन के कारण, सेवा शुल्क और उस पर कर व्यय के रूप में 39,62,367/- रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के आय और व्यय खाते से नहीं हटाई गई है। परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष के लिए आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि में 39,62,367/- रुपये की वृद्धि हुई है।

16.0 ट्रस्ट के संचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

ट्रस्ट अपने आकलन के आधार पर और अपने व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह मानता है कि ट्रस्ट के संचालन पर कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

17.0 जहां भी आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के समतुल्य आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

18.0 अनुसूची 1 से 9 संलग्न हैं और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय खाते का आंतरिक भाग हैं।

कृते राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट

हस्ता/- हस्ता/-

(रजत कुमार सैनी) **(राजेश कुमार सिंह)**
सीईओ एवं सदस्य-सचिव **अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 8 जुलाई, 2024

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2023-24

Proforma for furnishing the relevant details in respect of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry:- Ministry of Commerce and Industry
Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Name of Organization: National Industrial Corridor Development & Implementation Trust

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Trust		
2	The Year of inception of the organisation	2012		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Deed of Trust and Indian Trust Act, 1882 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)** *(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)*	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)		
6	If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)**	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2020-21, 2021-22 and 2022-23.	**Year** FY 2020-21 FY 2021-22 FY 2022-23	**Lok Sabha** 09.02.2022 21.12.2022 20.12.2023	**Rajya Sabha** 11.02.2022 23.12.2022 07.02.2024
10	If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	Not Applicable		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	Annual Report for the financial year 2023-24	42 - 66
2	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India on the Annual Accounts for the year ending 31st March, 2024	67 - 70
3	Certified Annual Accounts for the financial year 2023-24	71 - 83

ANNUAL REPORT 2023-24

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

Table of Contents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	**Introduction**	44
	1.1 Background	44
	1.2 Institutional Framework	46
	1.3 Delegation of Powers	47
	1.4 Planning of Industrial Corridor Projects and Sustainability Features	48
	1.5 Overall Status of the Business and Operations	49
2.	**Brief Status of the Projects**	52
	2.1 Projects which are approved by the NICDIT and Government of India	52
	2.2 Projects which are approved by the NICDIT and are under consideration by Government of India	56
	2.3 Projects which are being taken up for consideration and appraisal by NICDIT	58
3.	**Other Standalone Projects**	60
	3.1 Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan	60
	3.2 Logistic Data Bank Project	62
	3.3 Unified Logistics Interface Platform (ULIP)	63
4.	**Policy Based Loan (PBL) from Asian Development Bank for Industrial Corridor Development Programme**	63
5.	**Financial Results Summary**	65
	Acknowledgement	66

1. Introduction

1.1 Background

In accordance with the approval of Government of India on 15th September, 2011, DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

The Government of India accorded approval for expanding the mandate and scope of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) vide order dated 22nd December, 2016 and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. NICDIT functions under the administrative control of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India. The Government has also approved constitution of a Board of Trustees of NICDIT with the following composition:

i. Secretary, DPIIT, Chairperson;
ii. Secretary, Department of Expenditure, Member;
iii. Secretary, Department of Economic Affairs, Member;
iv. Secretary, Road Transport & Highways, Member;
v. Secretary, Ports, Shipping and Waterways, Member;
vi. Chairman, Railway Board, Member;
vii. CEO, NITI Aayog, Member; and
viii. CEO, NICDIT, Member Secretary

In accordance with the clause 8.5 of the Trust Deed, Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) shall act as Chairman of the Trust and CEO & MD, NICDC Limited shall act as Chief Executive Officer (CEO) of NICDIT.

The role, responsibilities, and functions of NICDIT are as follows:

a) Establishing an enabling institutional, financing, and operational framework for the development of Industrial Corridors;

b) Considering proposals received from different state Governments/UTs for establishing new Industrial corridors, Nodes, Early Bird Projects and Standalone projects;

c) Appraising all project proposals and sanction of equity or loan or both to SPVs and grants for project development as per approved delegation of financial powers;

d) Supporting project development activities in Industrial Corridors through Knowledge Partner(s), Special Purpose Vehicles (SPVs) and State Governments and assisting States in identifying Investors for industries;

e) Raising funds as debt/equity as per requirement, leveraging resources provided by Government of India and providing Equity/Debt to the SPVs formed in joint venture with State Governments/ other stakeholders for implementation of projects;

f) Entering into agreements with the State Governments/ Project specific SPVs/ public or private organizations, as may be required from time to time, to give effect to the modalities outlined in previous paragraphs;

g) Providing funds for land acquisition through existing mechanisms of States for specifically identified Strategic Early Bird Projects which could be developed on PPP models. However, land for city / node development will necessarily be the equity of the State and will be acquired and fully paid for by them;

h) NICDIT shall maintain accounts in the form prescribed by the Government on the advice of the C&AG of India and the accounts shall be subject to audit by the C&AG of India.

1.2 Institutional Framework

a) The Board of NICDIT shall approve and sanction the optimal mix of debt and equity, choice of financial instruments, quantum of funds, terms and conditions and disbursement schedule from the grant provided by GoI, to the SPVs after taking into account inter alia, the progress of land acquisition and actual execution of works at each industrial city. Similarly, grant to knowledge partner(s) for project development will be given in phases as per progress of work.

b) NICDIT will leverage the resources provided by the Government of India to raise long-term funding from financial institutions and also, after obtaining due approvals, raise tax Free Bonds, Capital Gain Bonds, Credit Enhancement, etc. for supporting the development of Industrial Corridors.

c) GoI's contribution to NICDIT will be used as a revolving corpus. Investments into the SPVs by GoI will be routed through NICDIT so that all debt service payments by SPVs and proceeds from equity disinvestment from SPVs, including SPVs developed by NICDC so far, by utilizing grants given by the GoI can be ploughed back into the Corpus, enabling NICDIT to undertake the development of more such industrial cities in future. The nodal / city level SPVs may further raise long-term debt finance through credit enhancement by appropriate guarantees from Government of India / State Government, so that it becomes viable for investment by insurance and pension funds. The nodal / city level SPVs will seek to employ innovative infrastructure funding and delivery tools such as user fee funding, pricing innovations, and delivery through various PPP arrangements. Funds raised by the State Government / SPVs as loans or otherwise also will count towards State's contribution.

d) For financial support to PPP projects, the extant guidelines for their Formulation, Appraisal and Approval as in Central Sector infrastructure projects shall be followed. Such projects would be eligible for Viability Gap Funding (VGF) in accordance with the prevalent policy. Secretary, DPIIT and Member- Secretary, NICDIT will be members of the Public Private Partnership Approval Committee (PPPAC) for Industrial Corridor projects. In order to ensure coordinated

development in consonance with the Master Plans / Development Plans, all proposals for VGF in the Industrial Corridors will be examined and recommended by NICDIT.

e) Each industrial city / node will be supported by GoI to an average of Rs.2,500 Crore subject to a maximum extent of Rs.3,000 Crore depending on the geographical location, size, contribution of the State and the development needs. The actual requirement may vary for each city / node, depending upon the cost of land and infrastructure development and the ability of the respective State Governments to mobilise financial resources for land procurement / land pooling. The State Government's contribution will be by way of land or any other funds raised by it from any source including bi-lateral / multi-lateral funding. While the total requirement per city for non-PPP projects may be much larger and would vary from city to city, the contribution of the Government of India is to trigger the first phase of development of these industrial cities / nodes. Subsequently, funds will be raised through internal monetization, etc.

1.3 Delegation of Powers

NICDIT will appraise all proposals for non-PPP projects placed before it. Based on appraisal by NICDIT Board, it will approve projects valuing upto a sum of Rs. 300 Crore as hitherto. Approval of Minister-in-charge will be obtained in case of projects valuing more than Rs. 300 Crore and up to Rs. 500 Crore. Proposals above Rs. 500 Crore but upto Rs.1,000 Crore will be approved by the Minister-in-charge of Ministry of Commerce & Industry and Finance Minister. All proposals exceeding Rs. 1,000 Crore will be submitted to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for obtaining approval.

Further, CCEA in its meeting held on 30.12.2020 delegated powers to NICDIT to change phasing of various projects, based on the progress of projects, availability of land and physical preparedness.

During the year 2023-24, the Board of Trustees held meetings on 15th May, 2023 and 08th January, 2024.

1.4 Planning of Industrial Corridor Projects and Sustainability Features:

Industrial Corridor projects under development adopts a sustainable approach that forms the ground work to aid the evolution of a Low Carbon City (LCC), including planning for Open green spaces, public transit and transit-oriented development (TOD), encouraging the use of renewable energy, minimising the use of conventional energy, optimizing the conservation and recycling of water, and recovery and recycling of solid waste materials. Following are the key features of the Trunk infrastructure which are adopted in all projects:

a) All Utilities are planned to be underground which leads to better usage of land. They are also outside the carriage way so that during maintenance and other works, the main carriageway is not affected.
b) The bus stations are planned within preferable walking distance of 400 meter. Better last mile connectivity options to increase accessibility. Provision for Bus Bays/Bus Stops to minimize the effect on traffic.
c) Waste water is collected and recycled from STP and CETP and redistributed to the city for non-potable purpose. SCADA system is used to prevent any overflows and to maintain efficiency. Adoption of zero liquid discharge (ZLD) for sustainable solutions. Separate sewer lines for industrial and residential lines.
d) Conservation of water through rain water harvesting is adopted at city level. In Dholera for instance a 100-meter wide open channel with more than 2500 million litres of capacity is used for water harvesting, irrigation for parks and gardens as well as for non-potable purpose, etc.
e) The entire infrastructure for Green field City is planned with SCADA, sensors and automation to generate real time information and to operate & manage it in efficient manner. This will facilitate Intelligent transport management, e-Governance, Digital health & Education, Emergency and City operations.
f) Planning for Green spaces by categorization of hierarchy for open green spaces which are as follows:
    i. Neighbourhood parks within five minutes walking;
    ii. Community parks within Ten minutes walking;
    iii. Liner Park along the storm water canal within the city.

g) Planned for safe and sustainable Multi Modal Transportation System integrated with public transportation modes and non – motorized modes.

h) Planned electric charging stations at major transit interchanges with parking facilities in the clusters with social infrastructure.

i) All the lakes being improved and additional canals have been planned to increase the retention of water and also provide recreational area to the residents.

j) Wide sidewalks and cycle track for residents to walk from home and reduce pollution.

k) An extensive Web based GIS application for visualization of all plots and assets. A comprehensive online land management system for investors to get information, apply for land and follow their application through to allotment.

1.5 Overall Status of the Business and Operations

a) Presently, as part of National Industrial Corridor Program, following 11 Industrial Corridors are being taken up for development:

   i. Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC);
   ii. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC);
   iii. Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC);
   iv. East Coast Industrial Corridor (ECIC) with Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) as Phase 1;
   v. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC);
   vi. Extension of CBIC to Kochi via Coimbatore;
   vii. Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC);
   viii. Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC);
   ix. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC);
   x. Odisha Economic Corridor (OEC); and
   xi. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC).

b) The trunk infrastructure works in nodes under Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) has either been completed or are nearing completion in 04 Greenfield Smart Industrial Cities: Shendra Bidkin (MH), Dholera (GJ), Greater Noida (UP) & Vikram Udyogpuri (MP). Shendra Industrial Area in Aurangabad, Maharashtra was

dedicated to the Nation by Hon'ble Prime Minister in September, 2019. Integrated Industrial Townships at Vikram Udyogpuri and Greater Noida were also dedicated to the Nation by Hon'ble Prime Minister in Oct,2023 and Jan,2024 respectively. The work for development of external trunk infrastructure in Integrated Multi-Modal Logistics Hub at Nangal Chaudhary is ongoing and is likely to be completed soon.

c) A total of 309 plots admeasuring nearly 1,890 Acres have been allotted to companies with investment potential to the tune of - Rs. 1,16,010 Crore including investors like HYOSUNG (South Korea), NLMK (Russia), TATA Chemicals, Renew Power, Coatall Films (US collaboration), Fuji Silvertech (Japanese), J-World (South Korea) & AMUL in above mentioned 04 cities. 80 units have started commercial operations and 83 companies are under construction in these 04 cities The node wise status of land allotted, investment secured and estimated employment generation is given as under:

S No.	Project	Plots Allotted (No.)	Area (Acres)	Investment (Rs. in Crore)	Employment Generated (No.)
i.	Dholera Special Investment Region, Gujarat	8	450	96,800	5,800
ii.	Shendra Bidkin Industrial Area, Maharashtra	237	827	8,358	11,380
iii.	Integrated Industrial Township, Greater Noida, Uttar Pradesh	18	210	6,006	18,438
iv.	# Integrated Industrial Township, Vikram Udyogpuri, Madhya Pradesh	46	403	4,846	12,867
Total		**309**	**1,890**	**1,16,010**	**48,485**

Excluding 360 Acres gross land transferred to GoMP for Medical Devices Park in IITVUL.

~ 2,004 Acres of developed Land for Industrial use and ~ 2,250 Acres of Land for mixed use is available with the above mentioned 4 SPVs.

d) Subsequently, Government of India in December, 2020 also approved 03 more projects Krishnapatnam (AP), Tumakuru (KA) and MMLH & MMTH at Greater Noida (UP).

The EPC contractor for both Tumakuru and Krishnapatnam Node has been appointed for construction of various components of Trunk Infrastructure. Hon'ble Prime Minister in February, 2023 has laid the foundation stone of the Tumakuru project.

e) Additionally, following 05 Industrial Corridor Projects have also been approved by NICDIT:

i. Khurpia Farm, Uttarakhand (1,002 Acres)
ii. Rajpura-Patiala, Punjab (1,099 Acres)
iii. Dighi Port Industrial Area, Maharashtra (6,056 Acres)
iv. Palakkad node, Kerala (1,710 Acres)
v. Jodhpur Pali Marwar Industrial Area, now called Marwar Industrial Cluster (1,578 Acres)

Out of the above 05 projects, projects at Sl No. (i) to (iv) have been submitted for the consideration and approval of GoI (CCEA).

The project at Sl No. (v) which has already been approved by NICDIT and the approval from Hon'ble Commerce and Industry Minister and Hon'ble Finance Minister, GoI is being sought.

f) Further, seven (7) more projects are in pipeline which are targeted for implementation in FY 2024-25 for which Master Planning and Preliminary Engineering activities have been finalized and the projects are being placed for consideration and appraisal by NICDIT:

i. IMC at Agra, Uttar Pradesh (1,058 Acres)
ii. IMC at Prayagraj, Uttar Pradesh (351 Acres)

iii. IMC at Gaya, Bihar (1,670 Acres)
iv. IMC at Hisar, Haryana (1,605 Acres)
v. Kopparthy Industrial Area, Andhra Pradesh (2,595 Acres)
vi. Orvakal Industrial Area, Andhra Pradesh (2,621 Acres)
vii. Zaheerabad, Telangana (3,245 Acres)

The status of all the ongoing projects under various corridors has been outlined in subsequent section.

2. Brief Status of the Projects

2.1 Projects which are approved by the NICDIT and Government of India

a) Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat, DMIC

- DSIR has been planned over an area of approximately 920 sq. km and Phase-I Activation area of 22.5 sq. km has been carved out wherein trunk infrastructure works are nearing completion;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 2,784.83 Crore divided into five packages for activation area;
- State Govt. has transferred 48.31 sq. kms to DICDL (SPV) and matching equity amounting to Rs. 2784.83 Crore has been released;
- 08 plots admeasuring 450 Acres have been allotted with TATA Electronics and TATA Chemicals as anchor investors;
- Recently, 1 (one) plot admeasuring ~164 Acres land has also been allotted to Tata Electronics for setting up their Semiconductor wafer fab unit at Dholera;
- ~ 1,100 Acres industrial land is readily available for allotment;
- Out of the area earmarked for development of 1000 MW of Solar Park, 300 MW has been awarded to Tata Solar Power Ltd.;
- External connectivity projects of 6-lane greenfield expressway from Ahmedabad to Dholera by NHAI, Dholera International Airport and Bhimnath Dholera Rail link are also being implemented.

b) Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA), Maharashtra, DMIC

- Part I of SBIA covers an area of 40.2 sq. km;
- State Govt. has transferred entire 8.39 sq kms for Shendra Industrial Area and 28.8 sq. kms for Bidkin Industrial Area to the SPV. Matching equity amounting to Rs. 602.80 Crore and Rs. 2,397.20 Crore respectively has also been released by NICDIT;
- For Shendra Industrial Area, major trunk infrastructure packages have been completed;
- Hon'ble Prime Minister has dedicated the project to the nation on 7th September, 2019;
- In Shendra, 216 plots admeasuring ~ 492 Acres have been allotted including one to HYOSUNG (100 Acres) as the anchor investor.
- For Bidkin Industrial Area, GoI has approved the infrastructure packages worth Rs. 6,414.21 Crore to be developed in 3 phases with Phase A cost as Rs.2,427.02 Crore. The major trunk infrastructure works for Sector A (10.32 sq. km) have been completed;
- 21 plots admeasuring 335 Acres land has been allotted in Bidkin, out of which land admeasuring 138 Acres has been allotted to Piramal Pharma Pvt. Ltd.;
- 682 Acres industrial land is readily available for allotment in SBIA.

c) Integrated Industrial Township Project in Greater Noida, Uttar Pradesh, DMIC

- Land admeasuring 747.5 Acres has been transferred to the SPV and matching equity amounting to Rs. 617.20 Crore has also been released;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 1,097.5 Crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- 18 plots admeasuring 210 Acres have been allotted with HAIER (122 Acres) as the anchor investor;
- 122 Acres Industrial Land is readily available for allotment.

d) Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain, Madhya Pradesh, DMIC

- State Govt. has transferred 1,026 Acres land to the SPV and matching equity amounting to Rs. 55.93 Crore has also been released along with a debt of Rs. 260.54 Crore (out of which Debt of Rs.106.30 Cr has been repaid by the SPV in Dec,2023);
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 749.1 crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- 46 plots admeasuring 403 Acres have been allotted with AMUL as anchor investor;
- Further, 360 acres gross area has also been allotted for a Medical Device Park.
- 100 Acres of Industrial Land is readily available for allotment.

e) Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary, Haryana

- Project has been approved by GoI in May, 2018;
- Land admeasuring approx. 886 Acres has been identified in District Mahendergarh for the project;
- 689 Acres has been transferred to project SPV and matching equity amounting to Rs. 211.63 Crore has been released by NICDIT along with a debt of Rs.130 Crore;
- Approx. 158 Acres land is under litigation and matter is pending with Hon'ble High Court of Punjab and Haryana;
- 390 Acres litigation free land is being proposed to be developed as Phase-1A;
- Works for various external connectivity like water, power & road being undertaken by the State Govt. agencies on deposit basis and works are nearing completion. Water Supply works till site completed;
- External rail connectivity upto project site being undertaken by DFCCIL on deposit basis and construction works are in progress;
- The internal trunk infrastructure development and logistics hub facilities to be implemented through PPP mode;

- Transaction Advisor (TA) has been appointed by the SPV to bid out works on PPP mode for 390 Acres (Phase-1A).

f) <u>Krishnapatnam Node, Andhra Pradesh, CBIC</u>

- Detailed master planning and preliminary engineering activities of total project area of 11,095 acres have been completed;
- Project was approved by GoI in December, 2020 for Phase 1 area of 2,500 Acres;
- State Govt. has transferred 2,139.15 Acres land to SPV and matching equity amounting to Rs. 533.86 Crore has been released by NICDIT;
- EPC contractor for an activation area of 2,006 acres has been appointed for trunk infrastructure;
- Site establishment and survey works for finalization of design and drawings is under progress.

g) <u>Tumakuru Node, Karnataka, CBIC</u>

- Detailed master planning and preliminary engineering activities of total project area of 8,483 acres, have been completed;
- Project was approved by GoI in December, 2020 for Phase 1 activation area of 1736 Acres;
- State Govt. has transferred 1668.30 Acres land to SPV and matching equity amounting to Rs. 586.74 Crore has been released by NICDIT;
- EPC Contractor has been appointed for trunk infrastructure and earthworks for trunk infrastructure is in progress;
- Foundation Stone of the project was laid by Hon`ble PM on 06th Feb,2023.

h) <u>Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida, Uttar Pradesh, DMIC</u>

- Projects approved by GoI in Dec, 2020;
- MMLH & MMTH projects are proposed over an area of 825 acres and 358 acres respectively;
- For MMLH, 798 acres (~97%) and for MMTH,319 acres (~89%) land is under possession of state govt;

- 562 acres (457 acres – MMLH and 105 acres- MMTH) land has been transferred to Project SPV and matching equity amounting to Rs.853 Crore has been released by NICDIT;
- MoU bein executed with DFCCIL for external & internal rail connectivity works for MMLH site;
- Development of infrastructure components within the project boundary to be implemented on PPP mode;
- For MMLH, DPR and Bid Documents have been approved by the State and market sounding exercise has been initiated by the Transaction Advisor;
- General Consultants (GC) for implementation of MMTH project appointed, Survey has been completed and site assessment report is being finalized.

2.2 Projects which are approved by the NICDIT and are under consideration by Government of India.

a) Dighi Port Industrial Area (DPIA), Maharashtra, DMIC

- State Govt. has confirmed availability of 6,056 Acres of land for development of DPIA under NICDIT framework;
- Detailed master planning and preliminary engineering works have been completed by the appointed Consultants;
- Project is to be implemented by the existing SPV in the State – Maharashtra Industrial Township Limited (MITL), erstwhile Aurangabad Industrial Township Limited (AITL);
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 14th Dec, 2022;
- Approval from CCEA is being sought.

b) Khurpia Farms, Uttarakhand, AKIC

- State Govt. has confirmed the availability of 1,002 Acres land for the project;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been completed;
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 8th June, 2022;

- SSA and SHA have already been executed and project SPV has also been incorporated;
- Approval from CCEA is being sought.

c) Rajpura-Patiala, Punjab, AKIC

- State Govt. has confirmed the availability of 1,099 Acres land for the project;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been completed;
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 8th June, 2022;
- SSA and SHA have already been executed and project SPV has also been incorporated;
- Approval from CCEA is being sought.

d) Palakkad node, Kerala, CBIC Extension

- Land area of 1,710.37 Acres has been identified by the State Govt;
- SHA/SSA has been executed and the project SPV has been incorporated for development of IMC at Palakkad;
- Detailed master planning and preliminary engineering works has been completed;
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 14th Dec, 2022;
- Approval from CCEA is being sought;

e) Marwar Industrial Cluster (MIC), Rajasthan, DMIC

- The State Govt has informed the revised project area to be 8,121 Acres which is proposed to be developed in 03 phases;
- Phase A with an area of 1,578 Acres is being developed for which master planning and preliminarily engineering activities have been completed;
- SHA/SSA for JPMIA has been executed between Govt. of Rajasthan and NICDIT. SPV has also been incorporated on 15th March, 2022;
- Project proposal for Phase A has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 14th Dec, 2022;

- Approval from Hon'ble Commerce and Industry Minister and Hon'ble Finance Minister, GoI is being sought.

2.3 Projects which are being taken up for consideration and appraisal by NICDIT

a) IMC at Agra, Uttar Pradesh, AKIC

- State Govt. has confirmed the availability of 1,058 Acres land for the project;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities have been finalized;
- Draft SHA & SSA have been approved by the State;
- Notification of Master Plan is underway;
- Environmental Clearance has been obtained in November, 2023. TTZ clearance is under process;
- Network Planning Group (NPG) under PM GatiShakti has appraised and recommended the project proposal in their 73rd meeting held on 21.06.2024;
- Project is being taken for consideration and approval of NICDIT.

b) IMC at Prayagraj, Uttar Pradesh, AKIC

- State Govt. has confirmed the availability of 351 Acres land for the project including additional land of 231 Acres adjascent to the exixting site for development as integrated industrial cluster;
- Detailed master planning and preliminary engineering activities have been finalized by the appointed Consultant;
- Darft SHA & SSA has been approved by the State;
- EC for Saraswati Hi Tech City has been obtained in December, 2016. For 231 Acres additional land, EC is to be amended.
- Network Planning Group (NPG) under PM GatiShakti has appraised and recommended the project proposal in their 73rd meeting held on 21.06.2024;
- Project is being taken for consideration and approval of NICDIT.

c) IMC at Gaya, Bihar, AKIC

- State Govt. has confirmed the availability of 1,670 Acres land for the project;

- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities have been finalized by the appointed consultants;
- Draft SHA & SSA have been approved by the State;
- EC consultant has been appointed. ToR is being submitted.
- Network Planning Group (NPG) under PM GatiShakti has appraised and recommended the project proposal in their 73rd meeting held on 21.06.2024;
- Project is being taken for consideration and approval of NICDIT.

d) <u>IMC at Hisar, Haryana, AKIC</u>

- State Govt. has confirmed the availability of 1,605 Acres land as part of Phase1 for the project out of total area of 2,988 Acres;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities have been finalized by the appointed consultants;
- Draft SHA & SSA have been approved by the State;
- Notification of Master Plan is underway;
- Environmental Clearance is in process. ToR granted on 05.02.2024 and final EC application submitted to SEIAA, Haryana in April, 2024;
- Network Planning Group (NPG) under PM GatiShakti has appraised and recommended the project proposal in their 73rd meeting held on 21.06.2024;
- Project is being taken for consideration and approval of NICDIT.

e) <u>Kopparthy Industrial Area, Andhra Pradesh, VCIC</u>

- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering have been finalized by the appointed Consultants for an area admeasuring 2,595 acres under NICDIT framework based upon the confirmation of the land by the State Govt.;
- Addendum to SSA & SHA has been approved by the State;
- MoEF&CC has agreed for grant of EC. Final recommendation is awaited;
- Network Planning Group (NPG) under PM GatiShakti has appraised and recommended the project proposal in their 73rd meeting held on 21.06.2024;
- Project is being taken for consideration and approval of NICDIT.

f) Orvakal Industrial Area, Andhra Pradesh, HBIC

- Based on the proposal received from the State Govt, 4,742 acres is being developed under NICDIT framework out of which 2,621 Acres proposed to be developed as Phase I activation area;
- Preliminary Design Report & cost estimates for Phase-1 activation area have been finalized by the appointed consultants;
- Addendum to SSA & SHA has been approved by the State;
- Notification of Master Plan is underway;
- Environment Clearance has been obtained in November, 2020;
- Network Planning Group (NPG) under PM GatiShakti has appraised and recommended the project proposal in their 73rd meeting held on 21.06.2024;
- Project is being taken for consideration and approval of NICDIT.

g) Zaheerabad Phase 1, Telangana, HNIC

- Govt. of Telangana has confirmed for development of Zaheerabad Industrial Area over an area of 3,245 acres in Telangana;
- Updation of Detailed Project Report and Master Planning is being finalized by consultant appointed by the State Govt;
- Draft SHA/SSA has been finalized with the State Govt.
- Project shall be taken up for consideration and appraisal by NICDIT after obtaining approval from Network Planning Group (NPG) under PM Gati Shakti.

3. Other Standalone Projects:-

3.1 Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- NICDC Neemrana Solar Power Limited (NNSPL) (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited- DNSPCL) is a Special Purpose Company incorporated under the Companies Act, 2013 in March-2014 as a wholly owned subsidiary of NICDC Limited.
- The principal business of the company is to generate, develop and accumulate solar power and to transmit, distribute and supply such power and to carry on the

business to promote, develop, undertake, engineer, construct, complete, establish, operate, maintain, augment, modernize and upgrade the Model Solar Plants, one of 5 MW capacity and other of 1MW capacity at Neemrana, Rajasthan.

- In accordance with the approval of CCEA, amount of Rs. 13 Crore was transferred to NICDC Neemrana Solar Power Limited (NNSPL) towards Equity Contribution of NICDC Limited on behalf of Trust (NICDIT).
- The Power Purchase Agreement (PPA) for the 05 MW Solar Power Project had been executed with NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVNL) on 05th June, 2015.
- The 5 MW Solar Plant has been connected to the State Grid on 23rd July, 2015 and subsequently got commissioned on 3rd September, 2015. The commissioning certificate was issued by Rajasthan Renewable energy Corporation Limited (RRECL). The power is being supplied to the State Grid (i.e. 220kV RRVPNL GSS Neemrana) at the agreed tariff of Rs.8.77/kwh as per Power Purchase Agreement (PPA).
- The 1 MW model solar power project is conceived as the first Smart Micro-Grid Project in India, demonstrating the integration of solar power with industrial diesel generator sets.
- Micro-grid Solar Power Supply project was commissioned on 10th July 2017 of a capacity of 1MW during the demonstration period for two years. The Off-grid Hybrid power was supplied to Mikuni India Private Limited and after successful completion of the demonstration period the PPA has been mutually foreclosed on 20.02.2020
- Another Power Purchase Agreement (PPA) was executed with Toyoda Gosei Minda India Pvt. Ltd. (TGMIPL) on 12th Feb 2020 for third party sale of 1MW solar power supply for a period of 10 years which may be extended for further period of 10 years as per mutual agreed terms & conditions of Rajasthan Solar Energy Policy, 2019.
- The 1MW Solar Power Plant has been set up for third party sales of 1MW solar power through open access as per Rajasthan Solar Energy Policy, 2019.
- The 1 MW Solar Power Plant has been connected to grid on 8th April 2021 and subsequently got synchronized & commissioned on 19th April, 2021.The solar power is being injected to State Grid (i.e., 33/11 kV JVVNL 2nd GSS Neemrana) and third-party sale of solar power through open access has commenced to

TGMIPL from 1st June 2021 at the agreed tariff of ~ Rs. 4.60 per unit including 50% share of Open access charges.

3.2 Logistic Data Bank Project:

- NICDC Logistics Data Services Limited (formerly DMICDC Logistics Data Services Limited) Logistics Data Bank (LDB) system is a single window logistics visualization solution
    - which provides EXIM container movement tracking using only shipping container numbers;
    - from the ports to Inland Container Depot's/ Container Freight Stations;
    - and across the port associated parking plazas, toll plazas, railway stations, industrial corridors during the import and export journey.
- The project was launched, and services had started at all the terminals of JNPT Port from 1st July 2016.
- Currently, service is operational at PAN India level at all major and some minor ports and more than 72 million containers have been tagged/de-tagged till date.
- Services were also extended for movement across International Borders to Nepal and Bangladesh and 72 Special Economic Zones (SEZs) for better first and last mile visibility.
- LDB generates analytics reports every month for all EXIM stakeholders providing insights on performance benchmarks and bottlenecks.
- Currently, LDB covers:
    - 100% of India's EXIM container volume
    - 18 Ports (comprising 29 port terminals)
    - 435 CFSs, ICDs, Empty Yards and Parking Plazas (RFID Infrastructure)
    - 150 Toll Plazas (RFID Infrastructure)
    - 03 ICPs (RFID Infrastructure)
    - 72 SEZs (RFID Infrastructure)
    - 5800 railway stations (Freight Operations Information System).

3.3 Unified Logistics Interface Platform (ULIP):

- Hon'ble Prime Minister of India launched the Unified Logistics Interface Platform (ULIP) under the purview of National Logistics Policy (NLP) on 17th September 2022.
- ULIP is a digital gateway for enabling industry players to access logistics related datasets from various Govt. system through API based integration.
- The integration of ULIP with 37 systems of 10 different Ministries through 118+ APIs, covering 1800+ fields has been completed successfully.
- Over 42 crore+ transactions have been completed on the ULIP portal since the launch in January 2022.
- The ULIP portal (goulip.in) has witnessed 976 registrations from the private sector since its launch.
- Currently, 740 use cases of the 249 private players have been verified.
- Over 195 Non-Disclosure Agreements (NDA) have been signed with the private players for the development of the use cases.
- 110 applications of 76 private players developed leveraging ULIP APIs.

4. Policy Based Loan (PBL) from Asian Development Bank (ABD) for Industrial Corridor Development Programme

- In March 2020, the Screening Committee of Department of Economic Affairs (DEA) approved the loan assistance in the form of a Policy Based Loan (PBL) of USD 500 million for Industrial Corridor Development Programme. The objective of the proposed loan program is to support DPIIT/NICDC/NICDIT in development of industrial corridors to increase India's competitiveness as a global manufacturing hub through policy reforms.

- The PBL was structured under the programmatic approach with two subprograms/tranches of $250 million each. The Executing Agency (EA) of the program is Ministry of Commerce and Industry acting through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and Implementation Agency (IA) is NICDIT supported by NICDC.

- The loan is taken by Govt. of India (GoI) through Ministry of Finance (MoF) and its servicing and repayment obligation will also be of GoI. Release of funds will continue to flow to NICDIT through DPIIT in the form of Grant-in-Aid as part of overall approved corpus of funds for Industrial Corridor Development Program for onward release to project SPVs as Equity and/or Debt in accordance with the Institutional and Financial Structure approved by GoI.

- Sub-program 1 consisted ten (10) policy actions with an objective to strengthen the institutional structures and mechanism for integrated development, innovative financing solutions and investment promotion in industrial corridors. After successful completion of policy actions by EA/IA as outlined in the policy matrix, in October 2021, ADB approved the first sub-program of the PBL for USD 250 million for Industrial Corridor Development Programme to Govt. of India. Subsequently, in January 2022, the loan was made effective and was disbursed to the Consolidated Fund of Govt. of India.

- Together with the sub-program 1, ADB also approved the provision of a Technical Assistance (TA) of USD 1 million for knowledge services for Industrial Corridor Development Programme to the Govt. of India as a grant to support the delivery of some of the policy actions under subprogram-2.

- For sub-program 2 (USD 250 million), 10 policy actions were listed under three reform areas. After successful completion of policy actions by EA/IA as outlined in the policy matrix, in December 2023, ADB Board approved the second sub-program of the PBL for USD 250 million for Industrial Corridor Development Programme to Govt. of India.

- Loan Agreement (between ADB and DEA) and Program Agreement (between ADB and DPIIT) were executed on 15th December, 2023. Subsequently, upon completion of all conditions of loan effectiveness, ADB declared the loan effective as of 31st January, 2024 and the same was disbursed to the Consolidated Fund of Govt. of India on 08th February, 2024.

- Now, as part of Post Program Partnership Framework, it is proposed to carry out analytical studies with respect to the development of the Industrial Corridor Development Programme, for which ADB has extended the existing Technical Assistance (TA) provision till 31.12.2024. Further, a brief Terms of reference (ToR) of the proposed study has also been finalized in consultation with ADB.

- The study calls for the review and Updation of the Industrial Corridor Perspective Plans (DMIC and ECEC) and assessing the implementation status of the critical projects identified under the corridor and high-level identification of additional projects to accommodate the new trends in manufacturing and newly adopted industrial infrastructure planning principles in the corridor development program of NICDCL. For this, ADB would be appointing consultants and sector experts to support the analytical studies of the Industrial Corridor Development Programme.

5. Financial Results Summary

During the Financial Year 2023-24, a sum of Rs. 30.35 Crore and Rs. 5.01 crore was released by GOI towards the Main Corpus and Additional Corpus of the Trust, respectively and the same were utilized.

The Financial Summary of the Trust at the end of the financial year is as follows:

(Rs. in Crore)

Particulars	**FY 2023-24**	**FY 2022-23**
Corpus / Capital Fund	9,239.93	9,176.05
Earmarked Funds	Nil	Nil
Current Liabilities	0.10	0.09
Non-Current Liabilities	Nil	Nil
Fixed assets	Nil	Nil
Investments	8,709.41	8,705.83
Current Assets	530.62	470.31
Gross Income	34.01	29.78
Excess /(Deficit) of Income over Expenditure	33.92	29.69

Auditors

As per Clause 13 of the Trust Deed, the NICDIT shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The President of India entrusted the audit of Accounts of NICDIT to the office of C&AG for a further period of 5 years from the year 2022-23 to 2026-27 under section 20(1) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971.

During the year, the C&AG Audit Team conducted Annual Accounts Audit for the financial year 2022-23 and Compliance Audit for the period 01st April, 2021 to 31st March, 2023.

Particulars of Employees

NICDIT has no employees during the year 2023-24. NICDC Limited, being the Knowledge Partner provides all services and support to NICDIT.

Acknowledgement

The Chief Executive Officer of the Trust wishes to place on record, his gratitude to all Trustees for their continued guidance, support, co-operation and contribution in the Trust.

For **National Industrial Corridor**
Development and Implementation Trust

Sd/-

(Rajat Kumar Saini)
CEO & Member Secretary

Place: New Delhi
Date: 08.07.2024

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्याः रिपोर्ट/4(2)/विविध/
एस.ए.आर. /2023-24/324-27

दिनांकः
11 NOV 2024

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य भवन,
नई दिल्ली- 110011

विषयः वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एवं इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) के लेखों पर पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एवं इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) के अंकेक्षित वार्षिक लेखों की प्रति तथा उन पर पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित किया जा रहा है। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के दोनो सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करने से पहले, शासी निकाय (Governing Council) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

इस विषय में अनुरोध है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेज़ की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएँ।

भवदीया,

संलग्नः यथोक्त

-ह०-
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2024

We have audited the attached Balance Sheet of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for the year ended 31 March 2024 and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payment Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) entrustment letter No 1(17)-B(R&C)/2022 dated 31st August 2022. The preparation of these financial statements is the responsibility of the Management of the Trust. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on accounting treatment with regard to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards, and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. Audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by NICDIT as required in terms of the Deed of Trust dated 27 September 2012 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Grants in Aid

NICDIT had an unspent balance of ₹4.40 crore towards Project Implementation Fund (PIF) and Project Development Fund (PDF) Schemes as on 1 April 2023. During the year 2023-24, NICDIT received grants of ₹35.36 crore (₹30.35 crore for PIF, ₹5.00 crore for PDF and ₹0.01 crore for payment to NICDC Limited for Swachhata Action Plan). NICDIT utilised an amount of ₹39.06 crore during the year. Further, it received income tax refund of ₹2.29 crore, interest on loans and advances of ₹93.70 crore, repayment of debt of ₹106.30 crore and earned interest and dividend of ₹0.59 crore during the year 2023-24. The closing balance as on 31 March 2024 was ₹203.58 crore.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Account, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure** to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) as on 31 March 2024; and

b. In so far as it relates to the Income and Expenditure account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated: 11 NOV 2024

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit
Industry & Corporate Affairs

Annexure to Separate Audit Report

1. **Adequacy of Internal Audit System**

   An adequate Internal Audit system exists in the Trust.

2. **Adequacy of Internal Control System**

   An adequate Internal Control system exists in the Trust.

3. **System of Physical Verification of Fixed Assets**

   NICDIT does not have any fixed assets.

4. **System of Physical Verification of Inventory**

   NICDIT does not have any inventory.

5. **Regularity in Payment of Statutory Dues**

   NICDIT was regularly depositing all the statutory dues.

Director (AMG-III) 11.11.24

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

BALANCE SHEET
As at 31st March, 2024

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2023-24	2022-23
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	92,39,93,06,049	91,76,04,91,269
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	10,36,169	8,64,521
Total		**92,40,03,42,218**	**91,76,13,55,790**
ASSETS			
Fixed Assets	-	-	-
Investments	3	87,09,40,95,581	87,05,83,01,831
Current Assets, Loans, Advances etc.	4	5,30,62,46,637	4,70,30,53,959
Total		**92,40,03,42,218**	**91,76,13,55,790**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Rajat Kumar Saini)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2024

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 2024

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2023-24	2022-23
INCOME			
Interest Earned	5	33,75,03,307	29,59,43,855
Other Income	6	26,35,423	18,73,610
Total (A)		**34,01,38,730**	**29,78,17,465**
EXPENDITURE			
Other Administrative Expenses	7	9,01,583	9,50,221
Total (B)		**9,01,583**	**9,50,221**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		33,92,37,147	29,68,67,244
Transfer to Additional Corpus		6,62,564	6,70,999
Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Main Corpus / Capital Fund		**33,85,74,583**	**29,61,96,245**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Rajat Kumar Saini)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2024

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

RECEIPTS AND PAYMENTS

for the year ended 31st March 2024

(Amount - ₹)

RECEIPTS	2023-24	2022-23	PAYMENTS	2023-24	2022-23
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	-	-	Other Administrative Expenses	7,29,935	7,73,737
b) Bank Balances					
i) In Saving Accounts	76,485	81,079	**II. Service Fees and Tax Expense**		
ii) In Deposit Accounts	4,39,19,802	16,44,78,317	a) Out of Main Corpus	39,62,367	1,43,56,086
			b) Out of Additional Corpus	-	-
II. Grants Received					
a) From Government of India for			**III. Payments made for various projects**		
Main Corpus	30,35,40,000	1,08,66,73,200	a) Out of Main Corpus		
b) From Government of India for			-Release of loan to:		
Additional Corpus			i) NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited	30,00,00,000	1,00,00,00,000
-Project Development Activities	5,00,00,000	1,00,000	b) Out of Additional Corpus		
-Swatchta Action Plan	1,00,000	1,00,000	-Release of Grant-in-aid to NICDC:		
			-For carrying out Project Development Activities	5,00,00,000	1,00,000
III.Income on Investments from			-For Swatchta Action Plan	1,00,000	1,00,000
a) Main Corpus	-	-			
b) Additional Corpus	-	-			
			IV. Investments and deposits made		
IV. Interest Received			a) Out of Main Corpus		
a) On Bank Deposits (net of TDS)	19,24,865	47,07,447	-Release of equity to:		
b) On Saving Accounts	12,82,241	85,937	i) NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited	3,57,93,750	-
			ii) NICDC Punjab Industrial Corridor Development Corporation Limited	-	2,50,00,000
c) On Loans and Advances	93,69,80,225	-	iii) NICDC Uttrakhand Indutrial Township Limited	-	2,50,00,000
			iv) NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	-	11,76,17,400
V. Other Income (Refer to Schedule 6)			v) Rajasthan Industrial Corridor Development Corporation Limited	-	4,90,00,000
a) Main Corpus	26,28,501	18,67,683	b) Out of Additional Corpus	-	-
b) Additional Corpus	6,922	5,927			
			V. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress	-	-
VI. Amount Borrowed	-	-			
			VI. Refund of Surplus money/Loans	-	-
VII.Any Other Receipts					
a) Income Tax Refund	2,29,17,315	1,78,43,920	**VII. Finance Charges (Interest)**	-	-
b) Reimbursement of expenses from NICDC Ltd.	-	-			
c) Repayment of Loan from SPV	1,06,30,19,775	-	**VIII. Other Payments**	-	-
			IX. Closing Balances		
			a) Cash in Hand	-	-
			b) Bank Balances		
			i) In Saving Accounts	21,82,528	76,485
			ii) In Deposit Accounts	2,03,36,27,551	4,39,19,802
Total	**2,42,63,96,131**	**1,27,59,43,510**	**Total**	**2,42,63,96,131**	**1,27,59,43,510**

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2024

(Rajat Kumar Saini)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2024

(Amount - ₹)

Particulars		2023-24	2022-23
SCHEDULE 1 : CORPUS / CAPITAL FUND			
1.0. MAIN CORPUS / CAPITAL FUND			
Balance at the beginning of the year		91,74,71,10,248	90,37,85,96,889
Add: Contribution received towards Corpus / Capital Fund		30,35,40,000	1,08,66,73,200
Less: Service Fees*		(33,57,938)	(1,21,66,174)
Less: Tax Expense on Service Fees**		(6,04,429)	(21,89,912)
Add / (Less): Balance of net income / expenditure transferred from the Income and Expenditure Account		33,85,74,583	29,61,96,245
Balance as at the year end (A)		**92,38,52,62,464**	**91,74,71,10,248**
1.1. ADDITIONAL CORPUS FOR NICDC LIMITED (Formerly Known as DMICDC LIMITED)			
Balance at the beginning of the year		4,72,96,25,787	4,72,94,25,787
Add: Contribution towards Additional Corpus / Capital Funds			
-For carrying out Project Development Activities		5,00,00,000	1,00,000
-For Swatchta Action Plan		1,00,000	1,00,000
	(a)	4,77,97,25,787	4,72,96,25,787
Add: Balance of net income / expenditure transferred from Income and Expenditure Account			
- Upto Previous Year		38,46,82,234	38,40,11,235
- During the Current Year		6,62,564	6,70,999
	(b)	38,53,44,798	38,46,82,234
Less: Amount utilised by releasing Grant-in-aid to NICDC Ltd. (Formerly Known as DMICDC Ltd.)			
- Upto Previous Year		5,10,09,27,000	5,10,07,27,000
- During the Current Year		5,01,00,000	2,00,000
	(c)	5,15,10,27,000	5,10,09,27,000
Balance as at the year end (B)=[(a) + (b) - (c)]		**1,40,43,585**	**1,33,81,021**
Grand Total (A + B)		**92,39,93,06,049**	**91,76,04,91,269**

** In Compliance to the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), that the amount of Service Fee and Tax Expense thereon received from DPIIT as non-recurring grant for onward release to NICDC is not part of administrative income of NICDIT and the same has been deducted from Corpus without routing it through Income & Expenditure account.*

*** In Compliance to the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), a clarification was given by the Board of Trustees in its 8th meeting held on 21st September 2021 that the Service Fee paid to NICDC Limited @1% subject to the maximum limit of Rs.20 Crore in a year of the funds released by NICDIT to various Project/Node SPVs as Equity/Debt is excluding the applicable taxes. Accordingly, the Service Fee paid to NICDC Limited and GST @18% on Service Fee have been shown separately.*

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2024

(Amount - ₹)

Particulars		2023-24	2022-23
SCHEDULE 2 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
2.0. CURRENT LIABILITIES			
1. Sundry Creditors:			
(a) For Goods		-	-
(b) Others		1,15,930	1,14,282
2. Statutory Liabilities			
(a) Others			
- Tax Deducted at Source (TDS)		9,500	9,500
	(A)	1,25,430	1,23,782
2.1. PROVISIONS			
1. Others			
(a) Provision for Audit fees			
- Current Year		1,70,000	1,70,000
- Previous Years		7,40,739	5,70,739
	(B)	9,10,739	7,40,739
Total (A + B)		**10,36,169**	**8,64,521**
SCHEDULE 3 : INVESTMENTS			
1. Investment From Earmarked / Endowment Funds		-	-
2. Investment - Others			
(a) Shares			
Investment in Equity Shares (Refer to Note No. 4.0 of Schedule 9)			
- DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.		55,93,00,000	55,93,00,000
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Ltd.		14,70,25,26,880	14,70,25,26,880
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad Industrial Township Ltd.)		30,00,00,00,000	30,00,00,00,000
- Dholera Industrial City Development Ltd.		27,84,83,00,001	27,84,83,00,001
- NICDC Logistics Data Services Ltd.		4,01,98,000	4,01,98,000
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- DMIC Haryana MRTS Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Ltd.		2,11,63,35,500	2,08,05,41,750
- Dholera International Airport Co. Ltd.		24,24,00,000	24,24,00,000
- CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.		5,86,73,86,600	5,86,73,86,600
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Ltd.		5,33,86,48,600	5,33,86,48,600
- CBIC Ponneri Industrial Township Ltd.		2,50,00,000	2,50,00,000
- The Kerala Industrial Corridor Development Corporation Ltd.		2,50,00,000	2,50,00,000
- Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Ltd.		4,90,00,000	4,90,00,000
- NICDC Punjab Industrial Corridor Development Corporation Ltd.		2,50,00,000	2,50,00,000
- NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd.		2,50,00,000	2,50,00,000
(b) Others			
- Release of Funds to NICDC Limited (Formerly Known as DMICDC Limited for Investment in Equity Shares of NICDC Neemrana Solar Power Limited (Refer Note No. 3 of Schedule-9)		13,00,00,000	13,00,00,000
Total		**87,09,40,95,581**	**87,05,83,01,831**

(This space has been intentionally left blank)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2024

(Amount - ₹)

Particulars		2023-24	2022-23
SCHEDULE 4 : CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.			
4.0. CURRENT ASSETS:			
1. Bank Balances with Scheduled Banks:			
(a) On Deposit Accounts			
- Main Corpus		2,02,00,15,090	3,10,44,221
- Additional Corpus		1,36,12,461	1,28,75,581
(b) On Saving Accounts			
- Main Corpus		18,03,919	25,054
- Additional Corpus		3,78,609	51,431
	(A)	**2,03,58,10,079**	**4,39,96,287**
4.1. LOANS, ADVANCES & OTHER ASSETS:			
1. Loans and Advances (considered good and recoverable) to:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited*		1,54,23,80,225	2,60,54,00,000
- NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited		1,30,00,00,000	1,00,00,00,000
2. Interest Accrued and due on Deposits with Bank:			
-Main Corpus		3,49,02,740	73,854
-Additional Corpus		-	3,47,342
3. Interest Accrued but not due on Loans and Advances from:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited**		-	93,69,80,225
- NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited***		15,32,57,692	6,37,15,069
4. Interest Accrued and due on Loans and Advances from:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited		17,66,49,867	-
5. Others:			
-Tax Deducted at Source			
i. Main Corpus		6,31,09,180	5,24,09,533
ii. Additional Corpus		1,31,733	1,26,528
-Prepaid Expenses		5,121	5,121
	(B)	**3,27,04,36,558**	**4,65,90,57,672**
Total (A + B)		**5,30,62,46,637**	**4,70,30,53,959**

* During the Financial Year 2023-24, a sum of Rs 200 crore was received towards the repayment of loan which as per the directions given by the trustees in 12th Meeting of NICDIT held on 8th Janaury,2024 and as per provisions of Clause 6.5 of the agreement has been settled against the outstanding interest of Rs. 93,69,80,225/- up to 31st March,2023 and Rs. 106,30,19,775/- against the principal sum outstanding as on 31st March 2023.

** As per Clause 5.1 of the loan agreement executed with DMIC Vikram Udyogpuri Limited, interest accrued on loan disbursed to the SPV will be received only after the completion of Moratorium period of 10 years commencing from project commencement date of 07th July 2015.

*** As per Clause 5.1 of the loan agreement executed with NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited, interest accrued on loan disbursed to the SPV will be received only after the completion of Moratorium period of 10 years commencing from the Date of First Disbursement i.e 01st June 2022.

(This space has been intentionally left blank)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
for the year ended 31st March 2024

(Amount - ₹)

Particulars	2023-24	2022-23
SCHEDULE 5 : INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	3,97,97,712	29,40,514
[TDS for Current Year - ₹ 39,79,828/-]		
(Previous Year - ₹ 3,27,057/-)		
(b) Additional Corpus	6,53,921	6,63,883
[TDS for Current Year - ₹ 65,396/-]		
(Previous Year - ₹ 66,337/-)		
2. On Savings Accounts (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	12,80,520	84,748
(b) Additional Corpus	1,721	1,189
3. On Loans:	29,57,69,433	29,22,53,521
[TDS for Current Year - ₹ 2,95,76,943/-]		
(Previous Year - ₹ 2,92,25,352/-)		
Total	**33,75,03,307**	**29,59,43,855**
SCHEDULE 6 : OTHER INCOME		
1. Interest on Income Tax Refund:		
(a) Main Corpus	26,28,501	18,67,683
(b) Additional Corpus	6,922	5,927
2. Provision Written Back	-	-
Total	**26,35,423**	**18,73,610**
SCHEDULE 7 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Auditors Remuneration		
- Current Year	1,70,000	1,70,000
- Previous Years	-	-
b) Professional and Consultancy Fees	1,18,590	1,18,590
c) Share Dematerialsation Expenses	6,07,782	6,55,010
d) Others		
- Misc. Expenses	5,211	6,621
Total	**9,01,583**	**9,50,221**

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 Format of Preparation of Accounts

The financial Statements have been prepared in accordance with the 'Uniform Format of Accounts' as prescribed for Central Autonomous Bodies based on the Report of the Committee of Experts, November 2000.

2.0 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the basis of accrual method of accounting unless otherwise stated.

3.0 Long-term Investments

Long-term investments are carried at actual cost including the cost incidental to acquisition.

4.0 Fixed Assets

4.1 Fixed Assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

4.2 Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management;

4.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these assets will flow to Trust and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Income and Expenditure Account when incurred;

4.4 Depreciation is provided on pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) method. Depreciation is provided based on useful life of the assets.

5.0 Government Grant

5.1 Trust receives non-recurring / recurring grants-in-aid from Government of India separately for:

(i.) "Creation of Capital Assets" towards the main Corpus of the Trust shown as "Main Corpus" under "Corpus / Capital Fund"; and

(ii.) "General" earmarked to be given to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid to carry out project development activities and for activities under 'Swatchta Action Plan' and are shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund".

5.2 The grants-in-aid received from the Government of India are accounted on receipt basis.

6.0 Revenue Recognition

6.1 Income is recognised on accrual basis.

6.2 Interest earned on surplus funds of "Main Corpus" and "Additional Corpus" are shown distinctly under these respective heads.

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

7.0 Other Administrative Expenses

Other administrative expenses are met out of the interest income on surplus funds of grant-in-aid received under the head "Main Corpus / Capital Fund".

8.0 Service Fees

Service Fees for the services rendered by NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) @ 1% plus applicable taxes (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore plus applicable taxes in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

Since, the Service Fee and Tax Expense thereon is recieved from DPIIT as non-recurring grant for onward release to NICDC and is not a part of administrative income of NICDIT, the same is deducted from Main Corpus without routing it through Income & Expenditutre Account w.e.f FY 2023-24.

9.0 Foreign Currency Transactions

Expenses in foreign currencies are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

10.0 Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Income and Expenditure Account on accrual basis.

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1.0 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier DMIC Project Implementation Trust Fund) was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide order no. 11/1/2016-IC dated 22.12.2016 conveyed the approval of Government of India in its Cabinet Meeting held on 7th December, 2016 for the expansion of mandate of Trust to include other Industrial Corridors i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC), Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC), Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) with extension to Kochi via Coimbatore (approved by Board of Trustees of NICDIT in its 4th meeting held on 30th August 2019) and Vizag – Chennai Industrial Corridor (VCIC) as part of East Coast Industrial Corridor (ECIC) Projects along with existing Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project and its redesignation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT).

Further, Government of India in its meeting held on 30th December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridors, under the Industrial Corridor Programme, within the overall framework of PM Gati Shakti National Master Plan for providing multi modal connectivity infrastructure to various Economic Zones. Out of these 11 Industrial Corridor projects , 5 were approved earlier by GoI.

2.0 As per the Financial and Institutional structure for the development of industrial cities in the Delhi - Mumbai Industrial Corridor (DMIC) approved by the Government on 15th September, 2011, the Government of India will provide a grant-in-aid of ₹ 17,500 crore to the Trust over the next 5 years beginning 2011-12, for the development of industrial cities. An Additional Corpus of ₹ 1000 crore would be given to Trust for passing on to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid over the next five years to carry out project development activities and to form project specific SPVs and sectoral holding companies consisting of project specific SPVs in a range of infrastructure areas.

Government of India in its meeting held on 7th December, 2016 accorded its permission to utilise the above approved financial assistance along with additional sanctioned amount of ₹ 1584 crore (i.e., ₹ 1500 crore for other industrial corridor and ₹ 84 crore for Administrative expenses of NICDIT) within the extended period upto 31st March, 2022 which has been further extended upto March 2027 as per the approval given by Government of India in its meeting held on 30th December 2020.

During the year, a sum of ₹ 30.354 crore (Previous Year ₹ 108.67 crore) was received towards Main Corpus / Capital Fund and ₹ 5.01 crore (Previous Year ₹ ₹ 0.02 crore) towards the Additional Corpus.

Government of India's contribution to Trust would be used as a Revolving Corpus.

The amount received against additional corpus released to NICDC for meeting the expenditure against Project Development Activities is considered as Utilized for NICDIT.

However, a sum of ₹ 19,25,07,641/- (Previous Year- ₹ 11,34,48,346/-) is lying in the books of accounts of NICDC Limited as on 31st March,2024 out of the cummulative funds released by NICDIT,interest earned thereon and amount recovered from SPVs.

3.0 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) out of Main Corpus/ Capital Funds of Trust during the financial year 2013-14 for onward release to its 100% owned SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited" (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) towards 100% equity investment of Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Limited (Formerly knwon as DMICDC Limited). The amount so released was reduced from the Corpus Funds of Trust during the Financial Year 2013-14.

As per the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountant of India obtained on the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the disclosure of the transaction, the amount reduced from the Main Corpus /Capital Fund of the Trust has been added back during the financial year 2016-17.The corresponding disclosure has been made under the head "Investment".

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

4.0 Investment in Equity Shares as on 31.03.2024

Name of SPVs	Investment as on 31st March 2024	No of Shares held	Face Value	% of Holding of NICDIT	No of Shares Held by Trustees		
					Shri Rajesh Kumar Singh	Shri T.K Ramachandran	Shri Rajat Kumar Saini
DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998
DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Ltd.	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686
Maharashtra Industrial Township Ltd. (Earlier known as Aurangabad Industrial Township Ltd.)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994
Dholera Industrial City Development Ltd.	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996
NICDC Logistics Data Services Ltd.	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798
NICDC Haryana Global City Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
DMIC Haryana MRTS Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Ltd.	2,11,63,35,500	21,16,33,550	10	50%	1	1	21,16,33,548
Dholera International Airport Co. Ltd.	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000
CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658
NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Ltd.	5,33,86,48,600	53,38,64,860	10	50%	1	1	53,38,64,858
CBIC Ponneri Industrial Township Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
The Kerala Industrial Corridor Development Corporation Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Ltd.	4,90,00,000	49,00,000	10	49%	1	1	48,99,998
NICDC Punjab Industrial Corridor Development Corporation Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
Total	**86,96,40,95,581**	**8,64,60,72,558**			**18**	**18**	**8,64,60,72,522**

Investment in Equity Shares as on 31.03.2023

Name of SPVs	Investment as on 31st March 2023	No of Shares held	Face Value	% of Holding of NICDIT	No of Shares Held by Trustees			
					Shri Anurag Jain	Shri T.V Somnathan	Smt. Sumita Dawra	Shri Sudhansh Pant
DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998	-
DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Ltd.	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686	-
Maharashtra Industrial Township Ltd. (Earlier known as Aurangabad Industrial Township Ltd.)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994	-
Dholera Industrial City Development Ltd.	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996	-
NICDC Logistics Data Services Ltd.	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798	-
NICDC Haryana Global City Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998	-
DMIC Haryana MRTS Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998	-
NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Ltd.	2,08,05,41,750	20,80,54,175	10	50%	1	1	20,80,54,173	-
Dholera International Airport Co. Ltd.	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000	-
CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658	-
NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Ltd.	5,33,86,48,600	53,38,64,860	10	50%	1	1	53,38,64,858	-
CBIC Ponneri Industrial Township Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998	-
The Kerala Industrial Corridor Development Corporation Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998	-
Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Ltd.	4,90,00,000	49,00,000	10	49%	1	1	48,99,998	-
NICDC Punjab Industrial Corridor Development Corporation Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	-	24,99,998	1
NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	-	24,99,998	1
Total	**86,92,83,01,831**	**8,64,24,93,183**			**18**	**16**	**8,64,24,93,147**	**2**

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

5.0 Employee Benefits

Trust does not have any employee. The provision for liability on account of employee's benefit including retirement benefit is NIL (Previous Year NIL).

6.0 Contingent Liabilities

The Contingent Liability of Trust is NIL (Previous Year NIL).

7.0 Capital Commitments

The Capital Commitment of Trust is NIL (Previous Year NIL).

8.0 Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business which would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

9.0 Taxation

The Director of Income Tax (Exemption) vide order dated 13th August, 2013, has granted registration under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act, 1961 with effect from the assessment year 2013-14 in response to an application filed by Trust on 28th March, 2013. Accordingly, the Trust has not made provision for income tax.

In accordance with the recent ammendments in the provisions of Income Tax Act, 1961, the Trust has re-registered itself under section 12A of the Income Tax Act,1961. The Principal Commissioner of Income Tax vide order dated 28th May,2021 has granted provisional registration under sub clause (i) of clause (ac) of sub-section(1) of Section 12A of the Income Tax Act,1961 for the period of five years starting from AY 2022-23 upto AY 2026-27.

In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, an amount of ₹ 25,85,59,908/-(Previous Year - ₹ 40,53,643/-) will be set apart before two months prior to the due date of filing of return, out of the income of the Trust , which is to be utilised within 5 years i.e., upto 31.03.2029 for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

Further, in accordance with clause (2) of the Explanation to sub section (1) of Section 11 of the Income Tax Act, 1961, Form 9A will filed for Rs. 29,57,69,433/- (Previous Year- ₹ 29,22,53,521/-) in respect of the Interest Income on Loan which is not received during the year.

The amount set apart upto the financial year 2022-23 has already been utilised for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

		Amount (₹) 2023-24	Amount (₹) 2022-23
10.0	**Foreign Currency Transactions**		
	10.1 Earning in Foreign Currency	Nil	Nil
	10.2 Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
11.0	**Remuneration to Auditors**		
	11.1 Audit Fees		
	- For Current Year	1,70,000	1,70,000
	- For earlier Financial Years	-	-
	11.2 For Taxation Matters	-	-
	11.3 For Other Services	-	-

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

12.0 Project Development Expenditure

In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the Annual Accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC)(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC)), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

As per the directions of the Board of Trustees, 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid, to the concerned subsidiaries /SPVs has been transferred to the respective SPVs wherever the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s)./Nodal Agency(ies) provides for recovery and the recovery of the same has been deferred till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

Further, in accordance with the accounting policies of NICDC Limited, the project development expenditure incurred for the projects which have not been taken off or no further activities have been carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). /Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery, have been disclosed as reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' in the Financial Statements of NICDC Limited.

13.0 Out of the total allocated funds of BE: ₹2000 crore and RE: ₹36.554 crore for F.Y 2023-24, a sum of ₹35.364 crore only could be received and utilized.The balance amount not received relates to project proposals which are under consideration and for approval of Govt. of India.

14.0 Statement of Receipts and Payments

The Statement of Receipts and Payments is prepared on the basis of inflows and outflows of cash during the year.

15.0 Change in Accounting Policy

Due to change in Accounting Policy no. 8.8.0, in accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) , the service fee paid to NICDC during the year and tax expense thereon amounting to Rs. 39,62,367/- have been deducted from Main Corpus.

Due to the above change in policy, service fee and tax expense thereon amounting to Rs. 39,62,367/- is not charged off from Income & Expenditure Account of the current financial year. As a result, the balance being excess of Income over Expenditure for the current financial year has increased by Rs 39,62,367/-.

16.0 Impact of COVID-19 on the operations of the Trust

The Trust on the basis of its assessment and considering the nature of its business, believes that the operations of the Trust are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic.

17.0 Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

18.0 Schedules 1 to 9 are annexed to and form integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2024 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Rajat Kumar Saini)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2024